

पीएनबी दुर्गवाहिनी

अंक-4, वर्ष: 2024-25, अक्टूबर-मार्च, 2025



अंक

4



खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म
लघु मध्यम उद्योग
विशेषांक

पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय,
दुर्गापुर की छमाही हिंदी गृह पत्रिका



गुवाहाटी में आयोजित पूरुव एवं पूरुवोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में अंचल कार्यालय, दुर्गापुर को "द्वितीय पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्वशर्मा तथा गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानन्द राय से शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए अंचल प्रबंधक, दुर्गापुर (तत्कालीन) श्री सुमंत कुमार एवं श्री उज्जल कुमार साव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)।



नराकास, दुर्गापुर की छमाही बैठक के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन (जनवरी*जून 2024) हेतु पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय दुर्गापुर को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास अध्यक्ष महोदय एवं उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता (पूरुव) के कर-कमलों से पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सुमंत कुमार, अंचल प्रमुख, दुर्गापुर (तत्कालीन) एवं प्रमाणपत्र स्वीकार करते हुए श्री उज्जल कुयमर साव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)।

प्रबंधकीय मंडल

मुख्य संरक्षक

श्री संजीव कुमार

महाप्रबंधक/अंचल प्रबंधक

संरक्षक

श्री राजेश कुमार प्रमाणिक

उप अंचल प्रमुख
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

सुरेश चन्द्र सारंगी

उप महाप्रबंधक
आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय

परामर्शदाता

श्री बुद्धदेव साहा

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, बर्द्धमान

श्री दीपक आचार्या

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, दुर्गापुर

श्रीमती सरिता सिंह

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, न्यू जलपाईगुड़ी

श्री तापस कांति झा

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, मालदा

श्री ब्रजमोहन पांडा

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, नदिया

श्री अजित कुमार वर्मा

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, मुर्शिदाबाद

श्री राकेश कुमार

मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय पुरुलिया

मुख्य संपादक

श्रीमती सुकन्या दास दस्तीदार

सहायक महाप्रबंधक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

संपादक

श्री उज्जल कुमार साव

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

संपादक मंडल

श्री इंद्रजीत दास

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, मालदा

आनंद विहारी साव

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, दुर्गापुर

श्री विकास कुमार साव

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, बर्द्धमान

श्री स्मृति शर्मा

प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, पुरुलिया

श्री संजय गौड़

अधिकारी (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, नदिया

श्री सुनील प्रसाद

प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, मुर्शिदाबाद

श्री राज नारायण साव

अधिकारी (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, न्यू जलपाईगुड़ी

अनुक्रमणिका

क्र शीर्षक

पृष्ठ

1	श्री संजीव कुमार, अंचल प्रबंधक के कलम से	5
2	श्री राजेश कुमार प्रमाणिक, उप अंचल प्रमुख का संदेश	6
3	संपादकीय : श्री उज्जल कुमार साव, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)	7
4	सुरक्षा का महत्व और बैंक में इसकी उपयोगिता	9
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का बैंकिंग क्षेत्र में योगदान	10
6	ग्रामीण बैंकिंग और हिन्दी भाषा का उपयोग : एक समग्र दृष्टिकोण	13
7	भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका और महत्व	19
8	बैंकिंग क्षेत्र में खुदरा ऋण का महत्व : अवसर एवं संभावनाएँ	22
9	शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय - एक कालजयी साहित्यकार	24
10	महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हमारा समाज	25
11	बैंकिंग धोखाधड़ी के रोकथाम में साइबर सुरक्षा की भूमिका	27
12	बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति में सरकारी ऋण योजनाएँ	28
13	वित्तीय जगत में आपसी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न चुनौतियाँ एवं समाधान	29
14	बैंकिंग क्षेत्र में मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग	31
15	पुस्तक समीक्षा : आजादी मेरा ब्रांड	33
16	आइये भारतीय भाषाएँ सीखें	33
17	बैंकिंग - तब और अब	34

कव्यांजली

18	वो झकझोरती है	15
19	प्रेम दिवस	30
20	नहीं लौटेंगे	32

गतिविधियां

21	अंचल/मंडल में आयोजित गृह ऋण एक्स्पो संबंधी गतिविधियां	16
22	अंचल/मंडल में आयोजित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं ऋण एक्स्पो	17
23	अंचल/मंडल में आयोजित कृषि ऋण एक्स्पो एवं अन्य गतिविधियां	18
24	अंचल/मंडल में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025	37
25	अंचल/मंडल में आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोह	38
26	अंचल/मंडल में आयोजित राजभाषा संबंधित गतिविधियां	39
27	अंचल/मंडल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस	40
28	अंचल/मंडल की सीएसआर एवं अन्य गतिविधियां	41
29	अंचल/मंडल की व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियां	42
30	आपकी प्रतिक्रियाएँ	43
31	अखबारों की सुर्खियों में दुर्गापुर अंचल	43





...the name you can BANK upon!

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

प्रधान कार्यालय: 5वां तल, प्लॉट सं. 4,
सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
Head Office: 5th Floor, Plot No. 4,
Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
T : 011-28044001, 28044002, 49482901, 49482902
E : md@pnb.co.in W : pnbindia.in

अशोक चंद्र

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ashok Chandra

Managing Director & CEO



एमडी एवं सीईओ का संदेश

पीएनबी परिवार के मेरे प्रिय साथियो,

ईश्वर की असीम कृपा से, मुझे आप सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं मुझे आशा है आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे।

पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त होना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है।

पीएनबी की न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन/संघर्ष के हिस्से के रूप में, बल्कि भारत के बैंकिंग परिदृश्य के एक स्तंभ के रूप में भी गौरव गाथा रही है, जिसका लगभग 130 वर्षों से राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा का इतिहास रहा है। यह विरासत हमें उद्योग की निरंतर बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए, नवाचार और परिवर्तन को अपनाने तथा हमारी अंतर्निहित शक्तियों का लाभ लेकर अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है।

पीएनबी के लिए मेरा विज़न है: "विकास, नवाचार, उत्कृष्टता"

बैंकिंग क्षेत्र तकनीकी प्रगति, ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और तेजी से बदल रहे आर्थिक परिवेश के कारण बहुत बड़े रूपान्तरण से गुज़र रहा है। पीएनबी में, हमें इन चुनौतियों का सामना ग्राह्यता, सक्रियता और एकजुटता की भावना से करना होगा। मेरा लक्ष्य पीएनबी को उत्कृष्टता की पहचान बनाना है, जो मजबूत विकास, बेहतर ग्राहक अनुभव और अत्याधुनिक नवाचार पर आधारित हो।

हमारा मुख्य ध्यान डिजिटल समाधान को अपनाने हुए ग्राहक सेवा पर केन्द्रित होना चाहिए।

प्रत्येक शाखा को सभी कर्मिकों की पूर्ण भागीदारी के साथ, ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हुए तथा नए ग्राहक आधार को अपने साथ जोड़ते हुए विकास की दिशा में प्रयास करना होगा।

मेरा ध्यान एकीकृत 'वन-पीएनबी' संस्कृति के निर्माण पर केन्द्रित होगा जो सहभागिता, समावेशिता और पारदर्शी मानव संसाधन नीतियों के साझे विजन तथा काम के आधार पर कर्मिकों को पुरस्कृत करने की परंपरा को बढ़ावा देगा। इस संस्थान के प्रमुख के रूप में, आप और आपके परिवार का कल्याण मेरे लिए सर्वोच्च और पहली प्राथमिकता है।

हमें अपने निवेशकों के मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए उनके विश्वास को बनाए रखना होगा। मैं आप सभी से नए उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ इस मिशन में शामिल होने का आह्वान करता हूँ। आइए हम अपने सभी कार्यों में ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, सहानुभूति, समय की पाबंदी, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये क्षमताएँ हमारे कामकाज के स्तर को बेहतर बनाएँगी एवं साथ ही भविष्य में भी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। साथ मिलकर हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

मैं आने वाले दिनों में आप सभी से मिलने और आपकी भावनाएँ एवं विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। आइये हम सब मिलकर पीएनबी के गौरवशाली इतिहास का एक नया अध्याय लिखें।

हम सभी के सुनहरे भविष्य में अटूट विश्वास और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

आपका

अशोक चंद्र



पंजाब नैशनल बैंक
...the name you can BANK upon!



संजीव कुमार
महाप्रबंधक व अंचल प्रबंधक

अंचल प्रबंधक के कलम से



मेरे प्रिय साथियों,

दुर्गापुर अंचल की छमाही गृह-पत्रिका “पीएनबी दुर्गावाहिनी” के अक्टूबर-मार्च 2025 अंक के माध्यम से आप सभी से पहली बार संवाद स्थापित करते हुये मुझे आपार प्रसन्नता हो रही है। पीएनबी दुर्गावाहिनी का यह अंक “खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विशेषांक” के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि पूर्व अंक की भांति पत्रिका का यह अंक भी आप सभी को पसंद आएगा एवं विभिन्न विषयों पर आपके ज्ञानवर्धन में सफल रहेगा। इस अंक के माध्यम से आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि दुर्गापुर अंचल की पत्रिका को प्रधान कार्यालय द्वारा लाला लाजपत राय शील्ड योजना के तहत “द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया है। मैं पत्रिका के संपादक मण्डल एवं सभी रचनाकारों को बधाई देता हूँ। राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु दुर्गापुर अंचल को न केवल प्रधान कार्यालय द्वारा लाला लाजपत राय शील्ड प्रतियोगिता में “द्वितीय पुरस्कार” प्रदान किया गया अपितु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत वर्ष 2023-24 के लिए भी “द्वितीय पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। इस हेतु दुर्गापुर अंचल के सभी स्टाफ-सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ। कोई भी पत्रिका अपने रचनाकारों की रचनाओं से ही पठनीय एवं संग्रहणीय बनती है। मैं सभी रचनाकारों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी रचनाधर्मिता एवं उत्कृष्ट लेखों ने इस पत्रिका को पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता दिलाई। बैंकिंग कारोबार का मुख्य कार्य ऋण सुविधा के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था में खुदरा, कृषि एवं “सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कारोबार के महत्व एवं सरकार समर्थित प्रोत्साहन योजनाओं से जहाँ एक ओर ऋण जोखिम कम हुआ है, वहीं अंतराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की विश्वसनीयता तथा बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र को अप्रत्याशित रूप से गति प्रदान करता है और बैंकों के लिए कारोबार हेतु मजबूत अवसर उपलब्ध करता है। इसी तथ्य के मद्देनजर हमारे नवनियुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का कुछ नवाचार अपनाने की महंती आकांक्षा थी कि बैंकिंग व्यवसाय को एक नई गति प्रदान की जाए, जिससे बैंकिंग कारोबार वृद्धि को नई उचाइयों तक ले जाया जा सके। इन्हीं आकांक्षाओं व नवाचार प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर होम लोन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं कृषि ऋण एक्स्पो आयोजित

करने का आह्वान किया। हमारे शीर्ष प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर 7 से 8 फरवरी 2025 तक “होम लोन एक्स्पो” एवं 13 फरवरी 2025 को “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एक्स्पो” तथा 01 मार्च 2025 को “कृषि ऋण एक्स्पो” का बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। इस दिशा में हमारे अंचल सहित समस्त अधीनस्थ मण्डल कार्यालय स्तर पर होम लोन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एवं कृषि एक्स्पो का भव्य आयोजन किया गया जिसे आपार सफलता मिली।

साथियों, जैसा की आप जानते हैं कि दुर्गापुर क्षेत्र में खुदरा, सूक्ष्म, लघु, माध्यम उद्योग तथा कृषि व्यावसाय की अपार संभावनाएँ हैं और हमारे बैंक ने वर्तमान दौर की मांग डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को महत्व देते हुये कई नवोन्मेषी पहल किए हैं और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान करने हेतु पीएनबी वन में विविध डिजिटल उत्पादों को जारी किया है। जिनमे खुदरा ऋण के अंतर्गत पूर्व-अनुमोदित कारोबार ऋण (PABL), पूर्व अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण (PAPL), डीजी होम लोन, डीजी कार लोन आदि जिसे मात्र कुछ क्लिक के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, वही जीएसटी एक्सप्रेस एवं ई-जीएसटी एक्सप्रेस कारोबार विस्तार हेतु कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से संबंधित वित्तीय सुविधाओं में केसीसी ऋण को पीएनबी वन द्वारा ऑनलाइन माध्यम से नवीनीकृत किए जाने की सुविधा हमारे किसानों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम है।

इस अंक को “खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेषांक” के रूप में प्रकाशित करने का उद्देश्य इस क्षेत्र में कारोबार की बढ़ती संभावनाओं से स्टाफ-सदस्यों को परिचित कराना है। इस अंक में खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग के विषय पर आलेख, कविता एवं अन्य रचनाएँ तथा मण्डल की गतिविधियों के संकलन हेतु संपादकीय मण्डल सहित सभी स्टाफ-सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है कि इस अंक में प्रकाशित आलेख आप सभी का ज्ञानवर्धन करने में सहायक सिद्ध होगी।

(संजीव कुमार)



राजेश कुमार प्रमाणिक
उप महाप्रबंधक

उप अंचल प्रमुख का संदेश

प्रिय साथियों,

“पीएनबी दुर्गावाहिनी” के नवीनतम अंक (अक्टूबर-मार्च 2025) के माध्यम से मुझे पहली बार आप सभी के साथ संवाद करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अंचल की यह पत्रिका आप सभी के अभिव्यक्ति एवं रचनाधर्मिता से ही पठनीय एवं रोचक बनती है। आप सभी के सामूहिक प्रयासों से ही हमारी इस पत्रिका को प्रधान कार्यालय स्तर पर “द्वितीय पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। इसके लिए दुर्गापुर अंचल के समस्त स्टाफ-सदस्यों एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई एवं उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे में हमारी यह ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम भविष्य में भी अपने स्थान को न केवल बनाए रखें अपितु और अधिक गुणात्मक व ज्ञानवर्धक आलेखों, रचनाओं को समाहित करते हुए उत्कृष्ट पत्रिका रूप में इसे प्रथम स्थान दिलाने हेतु भरसक प्रयास करना होगा। पीएनबी दुर्गावाहिनी का यह अंक “खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विशेषांक” के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जिसका मूल उद्देश्य दुर्गापुर अंचल में खुदरा ऋण, कृषि एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अवसरों को तलासते हुए इस क्षेत्र में कारोबार की बढ़ती क्षमताओं से स्टाफ-सदस्यों को अवगत कराना है।

साथियों, हम सभी पंजाब नेशनल बैंक के मजबूत स्तंभ के रूप में अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैंकिंग जगत में प्रतिस्पर्धा और बदलते आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें अपनी रणनीतियों को और अधिक सशक्त बनाना होगा, विशेष रूप से खुदरा, एमएसएमई, और कृषि ऋण के क्षेत्रों में हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। खुदरा बैंकिंग हमारी बैंक की रीढ़ है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उन्हें सर्वोत्तम वित्तीय समाधान प्रदान करें। होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन, और अन्य खुदरा उत्पादों को अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए हमें व्यक्तिगत और डिजिटल दोनों माध्यमों का प्रभावी उपयोग करना होगा।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमें इस क्षेत्र के उद्यमियों को वित्तीय सहयोग प्रदान

कर उनके व्यापार को बढ़ावा देने में सहायता करनी होगी। ग्राहकों को बैंक की विभिन्न योजनाओं जैसे जीएसटी एक्सप्रेस, ई-जीएसटी एक्सप्रेस तथा सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएमईजीपी, मुद्रा लोन, स्टैंड-अप इंडिया, पीएनबी पीएमएसवीएनआई योजना आदि की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करें। समय पर ऋण वितरण और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा से हम इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष स्थान है, और हमारा बैंक किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड), पशुपालन एवं मत्स्य पालन ऋण, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण ऋण, जल संसाधन वित्तपोषण आदि को बढ़ावा देना होगा। किसानों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और फील्ड विजिट का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। बैंक की सफलता हम सभी की प्रतिबद्धता और परिश्रम पर निर्भर करती है। हमें अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करते हुए उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। समय पर ऋण वितरण, बेहतर ग्राहक सेवा, और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने से हम अपने बैंक को नए आयाम तक पहुँचा सकते हैं। आइए, हम सब मिलकर बैंक की प्रगति में योगदान दें और इसे नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएँ!

आगे बैंकिंग कारोबार के साथ-साथ राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार भी हमारा न केवल संवैधानिक दायित्व है अपितु हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। गृह पत्रिका का प्रकाशन इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। गृह पत्रिका विविधतापूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक बनाने में आपके रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आशा है, इस अंक के माध्यम से प्रस्तुत हमारा प्रयास अवश्य आपके ज्ञानवर्धन करने में सफल सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित...

(राजेश कुमार प्रमाणिक)



उज्जल कुमार साव
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादकीय

प्रिय पाठकों,
दुर्गापुर अंचल की छमाही गृह-पत्रिका “पीएनबी दुर्गावाहिनी” का नवीनतम अंक (अक्टूबर-मार्च 2025) आप सभी को सौंपते हुये मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका न केवल हमारे अंचल के कारोबारी लक्ष्यों, उपलब्धियों का प्रतिबिंब है अपितु हमारे स्टाफ-सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने तथा उनके उत्साह, समर्पण के निरंतर प्रयासों की गवाही भी देता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा संबंधी गतिविधियों, व्यवसायिक उपलब्धियों और विविध नवाचारों की संचारिका पीएनबी दुर्गावाहिनी का यह अंक “खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विशेषांक” के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि बैंक के खुदरा ऋण, कृषि एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की गतिविधियों के विकास में हमारे बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से अपने पाठकों को अवगत कराना है। इसका उद्देश्य उत्पादों की विशेषताओं को आप सभी के समक्ष रख कर उसका समुचित लाभ हमारे ग्राहकों तक पहुँचाया जा सके। यह पत्रिका हमारे स्टाफ-सदस्यों की रचनात्मक कौशल, उनकी सृजनशीलता, विषय की गहरी पहचान को दर्शाता ही है और साथ ही राजभाषा के प्रचार-प्रसार की संवाहिका बन कर राजभाषा के संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन भी करती है। अपने पूर्व अंक की भांति इस अंक में भी हमारी प्राथमिकता यह रही है कि इस पत्रिका में समाग्रियों का संकलन इस प्रकार करें जो आपके लिए उपयोगी और लाभदायक हो।

वर्तमान में हमारी बैंकिंग सेवाएँ केवल लेन-देन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह हमारे ग्राहकों के सपनों और आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम भी हैं। विशेष रूप से खुदरा, कृषि एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के क्षेत्र में हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। खुदरा बैंकिंग हमारे बैंक के विस्तार और समृद्धि का प्रमुख आधार है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन लोन, गोल्ड लोन जैसे उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देते हुए ग्राहक अनुभव को सहज और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने बैंकिंग उत्पादों के माध्यम से छोटे और मध्यम व्यापारियों को सशक्त बना सकते हैं। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को

सरल और त्वरित बनाकर, हम उद्यमियों को उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बैंकिंग क्षेत्र का अहम योगदान है। हमें अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाना होगा। डिजिटल बैंकिंग को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता को सुगम बनाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी सफलता हमारे एकजुट प्रयासों पर निर्भर करती है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, त्वरित ऋण वितरण और बैंकिंग नवाचारों को अपनाकर हम बैंक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं।

हम सदैव यह प्रयास करते हैं कि पत्रिका में प्रकाशित आलेख बैंकिंग तथा अन्य उपयोगी विषयों के अलावे राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाए तथा साथ ही राजभाषा के क्षेत्र में नवाचार को अपनाते हुए नवोन्मेषी पहल को भी प्रोत्साहित करें। पीएनबी दुर्गावाहिनी राजभाषा के लक्ष्यों की प्राप्ति में उच्चाधिकारियों एवं स्टाफ-सदस्यों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास करती है। इसी के मद्देनजर हमने इस अंक में खुदरा, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित लेखों के अलावे राजभाषा एवं अन्य विविध विषयों से संबंधित आलेखों को भी शामिल किया है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग आदि जैसे समसामयिक विषयों को भी इस पत्रिका में स्थान दिया गया है जिससे इस पत्रिका को विविधतापूर्ण एवं संग्रहणीय बनाया जा सके। आगे आपको सूचित करते हुए हमें आपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रधान कार्यालय स्तर पर “पीएनबी दुर्गावाहिनी” को “द्वितीय पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। इसके लिए दुर्गापुर अंचल के सभी स्टाफ-सदस्य बधाई के पात्र हैं साथ ही मैं उन रचनाकारों को विशेष धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी लेखनी से सभी का ज्ञानवर्धन कर इस पत्रिका को सुशोभित एवं संग्रहणीय बनाया।

आगे आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने प्रतिक्रियाओं, विचारों तथा सुझावों से हमें अवगत कराएँ ताकि आगामी अंक को और अधिक रोचक, विविधतापूर्ण एवं ज्ञानवर्धक बनाया जा सके। आप सभी के बहुमूल्य सुझाव एवं सकारात्मक मार्गदर्शन का आकांक्षी.....

(उज्जल कुमार साव)

सुस्वागतम्



श्री संजीव कुमार
महाप्रबंधक व अंचल प्रमुख
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



श्री राजेश कुमार प्रमाणिक
उप महाप्रबंधक व मंडल प्रमुख
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



श्रीमती सरिता सिंह
उप महाप्रबंधक व मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, न्यू जलपाईगुड़ी



सुमन कुमार सिंह
सहायक महाप्रबंधक
अंचल जोखिम अनुपालन अधिकारी



श्री अजित कुमार वर्मा
मंडल प्रमुख
मंडल कार्यालय, मुर्शिदाबाद



सुकन्या घोष दस्तीदार
सहायक महाप्रबंधक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



सुरक्षा का महत्व और बैंक में इसकी उपयोगिता

सुरक्षा का महत्व और बैंक में इसकी उपयोगिता तरक्की/विकास के लिए सुरक्षा (आंतरिक एवं बाहरी) का होना अति आवश्यक के कथन को आगे बढ़ाते हुए कुछ आंतरिक एवं बाहरी तरीके का विवेचना करने की कोशिश करूंगा। आंतरिक और बाहरी की व्याख्या इस प्रकार है। (क) आंतरिक परिसर के भीतर जिसमें वस्तु और व्यक्ति दोनों शामिल है। (ख) बाहरी परिसर के बाहर जिसमें वस्तु व्यक्ति के साथ-साथ वातावरण भी शामिल है।

(क). आंतरिक: आंतरिक सुरक्षा के वस्तु विषय में पहले कुछ बातें बताई गई थी, जिसे बैंक द्वारा अपनाई गई है। इसके साथ-साथ बैंक अपने कर्मियों को किसी प्रकार की हानी न आने के लिए उन्हें उन खतरों के बारे में ज्ञान देती हैं और उन्हें विषयों के प्रकट होने पर उससे कैसे व्यवहार करें की तरीके भी सूझती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति लूट के इरादे से व्यवहार करें तो उसे बिना कर्मियों को नुकसान पहुंचाए कैसे उसके इरादे को असफल करें। इसके लिए जैसे पहले बताया गया है उपकरण लगाए हुए हैं तो शोर मचाते हैं और चोर के इरादे में बाधा लाते हैं।

अब चोर जो अपनी लालसा को शीघ्र/ तुरंत पूरी करने का इरादा रखता है उससे निपटने के लिए पहली तरकीब होती है कि उसकी शीघ्रता में बाधा पहुंचाना। इसके लिए स्थिति अनुसार कदम लेने कि आवश्यकता है जिनमें यह शामिल किया जा सकता है।

(क) स्ट्रोब लाइट को सक्रिय करना जो पुलिस को बिना आवाज के सूचित कर दे।

(ख) उसे छोटे से छोटे विवरण के रुपये ही पहले थमाए जाए जिससे अधिक समय मिलने पर अपराधी की कुछ गुण सामने आए जो

आगे उसे पहचानने में मदद कर सके या उसे कुछ थमाने में समय लगाया जाए इत्यादि।

यह सब जब बैंक क्रियाशील है तब के लिए है, पर जब बैंक बंद हो जाते हैं तब परिसर को इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के अधीन कर दिया जाता है। कुछ उपकरण जब संकेत पाते हैं तो साइन बजा देते हैं जिसे सुन चोर के होश उड़ जाता है और वह शीघ्र वहाँ से भाग उठते हैं, साथ ही आजकल कुछ जगह क्लिक रिसपोन्स टीम को अपनाया गया है जो जगह विशेष में शीघ्र ही पहुँचते हुये अपराधी को पकड़ने की क्षमता रखती है पर यह उसी जगह अपनाई जाती है जहाँ चोरी की घटना अधिक हो रही होती है।

2. बाहरी: परिसर के बाहर जिसमें वस्तु, व्यक्ति के साथ-साथ वातावरण शामिल है।

(ख). बाहरी: बाहरी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुलिस इत्यादि का बंदोबस्त रखा है, पर बैंक अपने तरफ से यह कुछ कदम उठाते हैं।

दिन में यह घटना न हों बैंक परिसर एकांत/अलग-अलग परिसर में नहीं खोला जाता है। आस-पास के व्यक्ति को जाने अनजाने में उपकरण के सक्रिय होने पर घटना का अहसास होना बताता है जिससे मदद शीघ्र पहुँच सके।

रात में परिसर के बाहर रोशनी का होना निश्चित किया जाता है जो किसी संग्रिध हरकत को दृष्टि में ला सके।

यह कुछ मूल तरीके हैं जो बैंक अपने कर्मियों और परिसर के बचाव के लिए अपनाती है। इस लेखन के आखरी में इस पंक्ति से समाप्ति चाहूँगा: किसी सुरक्षा (आंतरिक एवं बाहरी) का होना व्यक्ति के ज्ञान, अनुशासन और निर्भीकता पर निर्भर है।



कैप्टन एन. के. चौहान

मुख्य प्रबन्धक (सुरक्षा)
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



श्री गौरव कुमार

मुख्य प्रबन्धक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का बैंकिंग क्षेत्र में योगदान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र देश की आर्थिक रीढ़ है, जो विकास और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं। वे रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अक्सर बड़े निगमों की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं। वे स्थानीय समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक सामंजस्य का समर्थन करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अक्सर बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक चुस्त और अनुकूलनीय होते हैं, जिससे उन्हें बाजार में बदलाव के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की अनुमति मिलती है। वे विनिर्माण और सेवाओं से लेकर प्रौद्योगिकी और रचनात्मक उद्योगों तक कई क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को अक्सर अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्त और संसाधनों तक सीमित पहुँच। दुनिया भर की सरकारें और संगठन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को फलने-फूलने में मदद करने के लिए सहायता कार्यक्रम और पहल प्रदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग समावेशी विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे एक अधिक विविध और प्रतिस्पर्धी व्यापार परिदृश्य में योगदान करते हैं।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और बैंकिंग क्षेत्र इसकी वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। बैंकिंग क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की भूमिका निम्नानुसार है :

वित्तीय क्षेत्र तक पहुँच बनाने के लिए:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में वित्तीय पहुँच बनाने के लिए निम्नगत क्षेत्रों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है:

ऋण : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को अक्सर अपने आकार, संपार्श्विक की कमी और सीमित क्रेडिट इतिहास के कारण पर्याप्त वित्तपोषण हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न ऋण उत्पादों के माध्यम से ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय समावेशन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को खातों, क्रेडिट और बीमा सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके बैंक उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वृद्धि और विकास का समर्थन:

अनुदान: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को अपने परिचालन का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी में निवेश करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए धन प्रदान करते हैं।

वित्तीय सलाह: बैंक व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।

कारोबार और वाणिज्य को सुगम बनाना:

व्यापार वित्त: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए घरेलू

और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि क्रेडिट पत्र, निर्यात वित्तपोषण और विदेशी मुद्रा समाधान।

भुगतान समाधान: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को कुशल और सुरक्षित भुगतान समाधान प्रदान करते हैं, जिससे वे व्यावसायिक लेनदेन को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होते हैं।

नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:

नवाचार वित्तपोषण: बैंक अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए धन उपलब्ध कराकर नई प्रौद्योगिकियों और नवीन प्रथाओं को अपनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का समर्थन करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करते हैं, जिससे वे दूरस्थ रूप से बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सकते हैं और अपने वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन:

बीमा: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए बीमा उत्पादों की पेशकश करते हैं, जैसे कि संपत्ति की क्षति, व्यापार में रुकावट और क्रेडिट जोखिम।

जोखिम मूल्यांकन: बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की साख का आकलन करते हैं और उन्हें अपने वित्तीय जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं।

वित्त तक पहुँच में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

संपार्श्विक का अभाव: कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के पास ऋण सुरक्षित करने के लिये पर्याप्त संपार्श्विक का अभाव होता है, जिससे उनके लिये बैंकों से वित्तपोषण प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

सीमित क्रेडिट इतिहास: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का अक्सर सीमित या कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता है, जिससे बैंकों के लिये उनकी साख का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

सूचना का संप्रेषण ना होना: बैंकों के पास सूक्ष्म, लघु और

मध्यम उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन और व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में सीमित जानकारी हो सकती है, जिससे उनके लिये ऋण संबंधी निर्णय लेना कठिन हो जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए सरकार की पहल:

मुद्रा ऋण: सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सहित छोटे व्यवसायों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है। मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी) ऋण बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को दिए जाते हैं। ये ऋण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। मुद्रा ऋण का उद्देश्य आय-सृजन गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। मुद्रा ऋण तीन प्रकार के होते हैं: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,001 से ₹5 लाख), और

तरुण (₹5,00,001 से ₹10 लाख)। इन लोन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें कार्यशील पूंजी, उपकरण खरीद और बिज़नेस विस्तार शामिल हैं। मुद्रा लोन आमतौर पर अनसेक्योर्ड होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है।

मुद्रा ऋण पर ब्याज दरें ऋण देने वाली संस्था द्वारा निर्धारित की जाती हैं और कई कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं। यह योजना विशेष रूप से गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का समर्थन करने पर केंद्रित है। मुद्रा ऋण का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। पीएमएमवाई योजना छोटे व्यवसायों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का प्रयास करती है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई): सीजीटीएमएसई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को दिए गए ऋणों के लिये बैंकों को गारंटी प्रदान करता है, बैंकों के लिये जोखिम को कम करता है और उन्हें इस क्षेत्र को अधिक उधार देने के लिये प्रोत्साहित करता है। सीजीटीएमएसई का मतलब सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है। यह भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने की एक योजना है।





सीजीटीएमएसई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) की एक संयुक्त पहल है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को दिए गए ऋण के लिए ऋण देने वाले संस्थानों को गारंटी कवर प्रदान करती है। यह बैंकों और अन्य संस्थानों को संपार्श्विक पर जोर दिए बिना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीजीटीएमएसई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण दोनों को कवर करता है। पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए गारंटी कवर ₹5 करोड़ तक जा सकता है। विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सीजीटीएमएसई कवरेज के लिए पात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार करना है, जो अक्सर ऋण सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। सीजीटीएमएसई भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की वृद्धि और विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का निर्देश है। यह बैंकों को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) के एक निश्चित हिस्से को विशिष्ट क्षेत्रों को उधार देने का आदेश देता है। इन क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पीएसएल का लक्ष्य इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), और आवास प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए बैंकों को इन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। पीएसएल दिशानिर्देश भारत में परिचालन करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के

भी पीएसएल लक्ष्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीएसएल ढांचे की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य उभरती जरूरतों को पूरा करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। पीएसएल मानदंड बैंकों को आबादी के कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना बैंकों का सामाजिक दायित्व माना जाता है। पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बैंकों के लिए दंड हो सकता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्रेडिट में विविधता लाने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करता है। यह ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई पीएसएल अनुपालन की बारीकी से निगरानी करता है। पीएसएल दिशानिर्देश उन लोगों के लिए क्रेडिट सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और स्थिरता में योगदान देता है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को उधार दें।

संक्षेप में: बैंकिंग क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के विकास और विकास को वित्त तक पहुंच प्रदान करने, व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और जोखिमों का प्रबंधन करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त तक पहुंचने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और इस क्षेत्र के लिए बैंकिंग क्षेत्र के समर्थन को मजबूत करना भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।



ग्रामीण बैंकिंग और हिंदी भाषा का उपयोग: एक समग्र दृष्टिकोण



श्री राम कुमार विश्वकर्मा

मुख्य प्रबंधक
आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय

भारत एक कृषि प्रधान और विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना में ग्रामीण क्षेत्र का अहम स्थान है, और इस क्षेत्र का विकास देश की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, तो उसमें बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के समाज के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा और बैंकिंग प्रणाली अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। पिछले कुछ दशकों में, भारतीय सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली के विकास पर ध्यान दिया है, ताकि वहाँ के लोग भी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकें।

ग्रामीण बैंकिंग की अवधारणा, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में, सिर्फ ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करता है। इसके माध्यम से, न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जाती है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है। इसी संदर्भ में, एक और महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आता है, वह है हिंदी भाषा का उपयोग। हिंदी, जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संवाद और संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक सामान्य संवाद भाषा है, जो ग्रामीण लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाती है।

इस निबंध में हम ग्रामीण बैंकिंग, उसकी चुनौतियाँ, विकास और हिंदी भाषा के उपयोग के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो ग्रामीण वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण बैंकिंग का परिप्रेक्ष्य और उद्देश्य

ग्रामीण बैंकिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से उन लोगों को बैंकिंग सेवाएँ

उपलब्ध कराना है, जिनके पास शहरों या अन्य विकसित क्षेत्रों में उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने की पहुँच नहीं होती। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग छोटे किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और सामान्य श्रमिक होते हैं, जो पारंपरिक रूप से उधारी के माध्यम से अपना कार्य चलाते हैं। इनके लिए बैंकिंग सेवाओं का अभाव एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये लोग ऋण और वित्तीय सहायता के लिए अधिकांशतः साहूकारों या अन्य अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

ग्रामीण बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को आधिकारिक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, ताकि वे बाजार दरों से सस्ते ऋण प्राप्त कर सकें, अपनी बचत को सुरक्षित तरीके से रख सकें और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण बैंकिंग का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य आर्थिक समावेशन है, यानी उस समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सेवाओं में शामिल करना।

वर्तमान समय में, ग्रामीण बैंकिंग का परिप्रेक्ष्य केवल ऋण देने तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह क्षेत्र सेवाओं की व्यापक श्रेणी प्रदान करता है, जैसे कि छोटी बचत योजनाएँ (स्मॉल सेविंग्स), वित्तीय सुरक्षा योजनाएँ, बैंक खाते खोलना, डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ और बीमा योजनाएँ।

भारत में ग्रामीण बैंकिंग का विकास

भारतीय ग्रामीण बैंकिंग का इतिहास काफी लंबा और विविधतापूर्ण है। भारत में ग्रामीण बैंकिंग का विकास सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं के परिणामस्वरूप हुआ है।

1970 के दशक में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, तब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बनाई। इसके अंतर्गत, भारतीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) की स्थापना १९७५ में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को सरल और सस्ती बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना था। इसके बाद, नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर

एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की स्थापना १९८२ में की गई, जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए निधियाँ उपलब्ध कराना था।

ग्रामीण बैंकिंग के इस मार्ग में, १९९० के दशक के अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी योजनाएँ चालू की गईं, जो गरीबों और वंचित वर्ग को बैंकों से जोड़ने के लिए थी। इन योजनाओं के तहत, खाता खोलने, मुद्रा योजना, बीमा और पेंशन योजनाएँ प्रदान की गईं। इसके अलावा, २००० के दशक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं का भी आगाज हुआ, जिसने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था – ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय साक्षरता और सेवाएँ उपलब्ध कराना।

ग्रामीण बैंकिंग की चुनौतियाँ

ग्रामीण बैंकिंग का उद्देश्य भले ही सकारात्मक हो, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ भी हैं। ये चुनौतियाँ मुख्य रूप से भौगोलिक और सामाजिक कारकों से संबंधित हैं:

भौगोलिक दूरियाँ और परिवहन संबंधित समस्याएँ: भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और यातायात के साधन पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके कारण, बैंक शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त, वहाँ के लोग ज्यादातर नकद लेन-देन में विश्वास रखते हैं, जो डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में रुकावट डालता है।

वित्तीय साक्षरता की कमी: भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता का स्तर अभी भी कम है। अधिकांश लोग बैंकिंग प्रक्रियाओं, ऋण की शर्तों, ब्याज दरों, डिजिटल बैंकिंग के तरीकों, आदि के बारे में जागरूक नहीं होते। उनकी जानकारी मुख्य रूप से सशक्त ऋण योजनाओं, ब्याज दरों और बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में सीमित होती है। ऐसे में, उन्हें बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का सही तरीके से लाभ उठाने में कठिनाई होती है।

डिजिटल साक्षरता की कमी: डिजिटल लेन-देन की प्रणाली से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अभी भी दूर हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करने में कई लोग असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें इन तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं होती।

संवेदनशीलता और विश्वास की कमी: ग्रामीण समाज में अभी भी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास नहीं है, और लोग अधिकतर अपने पैसे को बुरे अनुभवों के कारण बैंक से बाहर रखना पसंद करते हैं। इस कारण, बैंकिंग सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाना एक बड़ा कार्य है।

भ्रष्टाचार और प्रबंधन की समस्याएँ: ग्रामीण बैंकों में अक्सर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था देखी जाती है, जो ग्राहकों की सेवा में विलंब और

अन्य समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। यह समस्याएँ बैंकिंग सेवाओं के प्रति ग्रामीणों का विश्वास घटाती हैं।

हिंदी भाषा का योगदान

भारत में ग्रामीण बैंकिंग के सफल संचालन में हिंदी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी, जो भारत की राजभाषा है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। जब बैंकिंग सेवाएँ हिंदी में उपलब्ध होती हैं, तो यह ग्रामीण लोगों को अधिक समझने योग्य और सुलभ होती है। इसीलिए बैंक अपनी सेवाओं और योजनाओं के प्रचार में हिंदी का व्यापक उपयोग करते हैं। हिंदी का उपयोग ग्रामीण बैंकिंग में किस प्रकार किया जाता है, वो कुछ उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है:

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का प्रचार: हिंदी भाषा का उपयोग बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के प्रचार-प्रसार में किया जाता है। बैंक शाखाओं में सभी सूचना बोर्ड, दस्तावेज़, आवेदन पत्र, और शर्तें हिंदी में उपलब्ध होती हैं, ताकि ग्रामीण लोग आसानी से उन्हें समझ सकें। उदाहरण के लिए, ऋण आवेदन पत्र, खाता खोलने की प्रक्रिया, बीमा योजनाओं की जानकारी, आदि सभी हिंदी में होते हैं। इससे ग्रामीण ग्राहक आसानी से इन दस्तावेज़ों को पढ़के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय साक्षरता में हिंदी का योगदान: बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित वित्तीय साक्षरता अभियानों में हिंदी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इन अभियानों के माध्यम से, लोगों को बैंकिंग प्रक्रियाओं, डिजिटल भुगतान, निवेश योजनाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। हिंदी भाषा में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में मदद करते हैं।

उदाहरण के लिए, बैंकों के अधिकारी हिंदी में किसानों और ग्रामीणों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें कौन-कौन सी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हैं और वे इन सेवाओं का किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। हिंदी में जानकारी देने से, लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग में हिंदी का उपयोग: डिजिटल बैंकिंग के प्रसार के साथ, बैंकों ने अपने ऐप्स और वेबसाइट्स पर हिंदी का विकल्प उपलब्ध कराया है। आजकल की डिजिटल दुनिया में, बैंकिंग सेवाएँ इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए हिंदी में कंटेंट और इंटरफेस उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे ग्रामीण लोग जो हिंदी बोलते हैं, वे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, एटीएम मशीनों, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, और इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स पर हिंदी का विकल्प दिया जाता है, जिससे लोग अपने बैंकिंग कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

ग्राहक सेवा में हिंदी का उपयोग: बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से संवाद हिंदी में किया जाता है। यह स्थानीय भाषा में ग्राहकों से संवाद करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और वे बैंकिंग प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे उन्हें बैंकिंग सुविधाओं का अधिक लाभ मिल पाता है।

विज्ञापन और प्रचार में हिंदी का योगदान: बैंक विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में ग्राहकों को सूचित करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर, और मीडिया अभियानों में हिंदी का व्यापक उपयोग होता है, ताकि ग्रामीण ग्राहक इन योजनाओं के बारे में जान सकें और उनका लाभ उठा सकें। इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलायी जाती है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण बैंकिंग का उद्देश्य केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य करता है। हिंदी भाषा, जो भारतीय ग्रामीण समाज में एक सामान्य संपर्क भाषा है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंकों द्वारा हिंदी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के प्रचार, जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग को सुलभ बनाने के लिए किया जाता है।

समाप्ति में, यह कहा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण बैंकिंग और हिंदी भाषा का आपस में गहरा संबंध है। हिंदी भाषा के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का प्रचार-प्रसार अधिक प्रभावी और सुलभ होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हम एक समृद्ध और सशक्त ग्रामीण भारत का निर्माण कर सकें।



वो झकझोरती है

हर रोज़ ही दफ़्तर जाते
न चाहते हुए भी,
मेरी बुझी आँखें
उसकी ओर घूमती रही हैं,
और सरकते हुए मंलीन ज़मीन पर
मैं उसकी टूटती काया का
बेरोक-टोक ही
इकलौता साक्ष्य बन जाता हूँ।

वो दिन भर मेरी
व्यस्त दिनचर्या में
कुछ यों, घुली हुई सी
मुझे बेबाक घूरती है
कि मैं जाने कितने ही हिसाबों में
अनजाने ही घाल-मेल कर जाता हूँ;
और उसकी वही घूरती आँखें फिर से
मुझे मेरे पशोपेश में होने के
सैकड़ों सबब दे जाती हैं।

उससे मेरा रिश्ता
भले चंद दिनों में बना हो
और इस ठिठुरती ठंड के बाद
उसका कतरा भी भरसक
फफ़ककर मुझमें भी दम तोड़ दे,
पर नौकरीपेशा मनुजों का
अचानक ऐसा दर्दनाक स्थानांतरण
मेरे दरकते हुए पौरुष को
बहुत सारे ज्वलंत सवाल दे जाता है।

वो अकेली ही पुआल पे लेटकर
चावल के असंख्य दानों से
गोया हर रोज़ इक नयी भूख चुनती है;
और हर जठराग्नि तब सिसककर मौन होती है;
उसके नासमझ आँसू जब
अपनी अकेली निष्ठुर ज़िंदगी से
तड़पकर समझौता करती है।

हाँ, मैं रोज़ दफ़्तर जाते
उसकी तन्हा दरकती ज़िंदगी का
अकेला ही साक्ष्य बनता हूँ,
और पूरे दिन मेरे व्यस्त कामों में
वो ओझल हो- होकर
मेरे ज़ेहन में अपनी
ख़ामोश उपस्थिति दर्ज़ करती है।

इस सुप्त पड़े लहू में फिर
एक टीस जगाती हुई
उपफफ... ठंड में ठिठुरती,
मुझे वो पिंजर मात्र भिखारिन
रोज़ ही तोड़कर रख देती है..



श्री अमिय प्रसून मल्लिक

वरिष्ठ प्रबंधक, भ.नि.सं
नदिया मंडल

अंचल/मण्डल में आयोजित गृह ऋण एक्सपो संबंधी गतिविधियां



दिनांक 7 फरवरी 2025 को मण्डल कार्यालय, दुर्गापुर द्वारा होम लोन एक्सपो का आयोजन किया गया। होम लोन एक्सपो कार्यक्रम का फीता काट कर उद्घाटन करते हुए अंचल प्रबंधक श्री सुमन्त कुमार, महाप्रबंधक महोदय एवं साथ ही श्री दीपक आचार्या, मण्डल प्रमुख, दुर्गापुर एवं अन्य उच्चाधिकारीगण।



दिनांक 8 फरवरी 2025 को मण्डल कार्यालय, दुर्गापुर द्वारा होम लोन एक्सपो का आयोजन किया गया। होम लोन एक्सपो के दौरान दीप-प्रज्वलित करते हुए अंचल/मण्डल के महिला स्टाफ-सदस्यगण तथा उपस्थित हैं उच्चाधिकारी, ग्राहक एवं स्टाफ-सदस्यगण।



दिनांक 07 फरवरी 2025 को आयोजित गृह ऋण एक्सपो में ग्राहक को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए मण्डल प्रमुख श्री तापस कान्ति झा साथ में यूजीवी के शाखा प्रबन्धक श्रीमती अदिति विश्वास।



मंडल कार्यालय न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी) के द्वारा 7 व 8 फरवरी, 2025 को मंडल कार्यालय के परिसर में गृह ऋण एक्सपो का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी का स्वागत करते हुए श्री मनीष डेब बर्मन, मण्डल प्रमुख।



7 एवं 8 फरवरी, 2025 को मंडल कार्यालय बर्द्धमान द्वारा उत्सव मेला मैदान, विरहाटा में रीटेल एक्सपो आयोजित किया गया। उक्त एक्सपो उद्घाटन आईएस जिला प्रशासक, पूर्व बर्द्धमान श्रीमती आइशा रानी ए द्वारा किया गया।



दिनांक 07 व 08 फरवरी 2025 को श्री ब्रजमोहन पंडा, मण्डल प्रमुख, नदिया की अध्यक्षता में होम लोन एक्सपो का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राहकों को ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया।



7 एवं 8 फरवरी, 2025 को मंडल कार्यालय, मुर्शिदाबाद में श्री श्री प्रताप कुमार बैरीगंजन जी की अध्यक्षता में होम लोन एक्सपो का आयोजन किया गया। इस दौरान विविध ग्राहकों को ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया।



पीएनबी गृह ऋण एक्सपो के दौरान प्रधान कार्यालय से दिनांक 08.02.2025 को उपस्थित श्री एस.के.राणा (मुख्य महाप्रबंधक) एवं मंडल व अधीनस्थ शाखा कार्यालय की महिला कर्मचारी.

अंचल/मण्डल में आयोजित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एक्स्पो एवं कृषि एक्स्पो



दिनांक 13.02.2025 को मण्डल कार्यालय दुर्गापुर द्वारा आयोजित पीएनबी का एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम में द्वीप प्रज्वलन करते हुए विशेष अतिथि के रूप में श्री सुधीर दलाल महा प्रबन्धक (बीएसआरएम), प्रधान कार्यालय, श्री अंजन चट्टोपाध्याय उप अंचल प्रमुख, दुर्गापुर अंचल एवं श्री दीपक कुमार, मण्डल प्रमुख दुर्गापुर।



दिनांक 13 फरवरी 2025 को मंडल कार्यालय मालदा की ओर से मालदा मरचेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण तथा लाभार्थी को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए मण्डल प्रमुख श्री तापस कान्ति झा।



दिनांक 13/02/2025 को मंडल कार्यालय बर्द्धमान द्वारा रामपुरहाट नगरपालिका मैदान में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन रामपुरहाट नगरपालिका के पौर प्रधान श्री सोमेन भक्त ने किया। कार्यक्रम में प्रधान कार्यालय, टीएमडी, महाप्रबंधक श्री पी सी बेहेरा और मंडल प्रमुख श्री बुद्धदेव साहा तथा मंडल, शाखा, वॉटिकल के स्टाफ सदस्यों ने सहभागिता की।



दिनांक 13.03.2025 को श्री प्रताप कुमार बैरीगंजन, मंडल प्रमुख, नदिया की अध्यक्षता में “एमएसएमई एक्स्पो” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।



दिनांक 13 फरवरी 2025 को मंडल कार्यालय मालदा की ओर से मालदा मरचेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स परिसर में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण तथा लाभार्थी को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए मण्डल प्रमुख श्री तापस कान्ति झा।



13 फरवरी 2025 मंडल कार्यालय, न्यू जलपाईगुड़ी में श्री मनीष डेब वर्मन, मंडल प्रमुख की अध्यक्षता एवं प्रधान कार्यालय से पधारे श्री पुलिन पटनायक, महाप्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में “एमएसएमई एक्स्पो” का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।



पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय के ग्राहक सेवा विभाग के महाप्रबंधक श्री पुलिन कुमार पटनायक के करकमलो से दिनांक 13.02.2025 को कुचबिहार जिला में रिबन काटकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एक्स्पो का उद्घाटन किया गया ...



श्री राकेश कुमार, मण्डल प्रमुख, पुरलिया की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2025 को “एमएसएमई एक्स्पो” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया।

अंचल/मण्डल में आयोजित कृषि ऋण एक्सपो एवं अन्य गतिविधियां



मंडल कार्यालय नदिया द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2025 को कृषि आउटररीच कार्यक्रम का आयोजन जिसमें श्री पूर्ण चन्द्र बेहरा, महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, मुख्य अतिथि श्री सैकत गांगुली, एडीएम नदिया, श्री अनुज सिकंदरबीडीओ नदिया और मंडल प्रमुख श्री ब्रजमोहन पंडा उपस्थिति थे।



कृषि प्रसार कार्यक्रम एक्सपो के दौरान श्री मनीष देबबर्मा (मंडल प्रमुख) ने दिनांक 01.03.2025 को माटिगाड़ा बी.डी.ओ ऑफिस में स्वयं सहायता समूह को संबोधित किया।



दिनांक 01 मार्च 2025 को मुर्शिदाबाद मंडल द्वारा आयोजित कृषि आउटररीच कार्यक्रम



मण्डल कार्यालय, पुरलिया में दिनांक 01.03.2025 को कृषि आउटररीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



मण्डल कार्यालय, पुरलिया द्वारा ऋण मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया।



प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार मंडल कार्यालय न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी) के द्वारा डिजिटल उत्पादों, CASA और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20.03.2025-21.03.2025 को सिंगलिला क्लब, उतारा टाउनशिप के परिसर में किया गया।



दिनांक 28.01.2025 को स्व० लाला लाजपत राय की जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मण्डल प्रमुख श्री तापस कान्ति झा



श्री आशीष कुमार

वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण)
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका और महत्व



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भारत की आर्थिक वृद्धि के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। उनके द्वारा किए गए निवेश और उनके वार्षिक कारोबार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है और वे विभिन्न उद्योगों, विनिर्माण से लेकर सेवाओं, खुदरा आदि को कवर करते हैं।

भारत में एमएसएमई का क्या महत्व है?

- एमएसएमई का महत्व सिर्फ उनके वित्तीय योगदान तक ही सीमित नहीं है; वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं, बेरोजगारी को कम करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हैं।
- देश में लगभग 63 मिलियन एमएसएमई हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत हिस्सा हैं और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

लेकिन ये उद्यम महिलाओं और गरीब क्षेत्रों के लोगों सहित कई उपेक्षित समूहों को व्यवसाय के अवसर प्रदान करके आर्थिक समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई न केवल रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि वे आय असमानता को भी कम करते हैं, क्योंकि लोग जिन घरों में रहते हैं वे या तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में हैं।

यह लेख हमें भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व को समझने में मदद करेगा, जिसमें रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका से लेकर उनके सामने आने वाली चुनौतियों और सरकारी पहलों द्वारा उनके विकास में सहायता तक शामिल है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान:

भारत की आर्थिक समृद्धि में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। वित्तीय योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा वे लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के मामले में भी महत्वपूर्ण हैं।

जीडीपी योगदान :

- भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा एमएसएमई से बना है।
- कुछ क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व के बावजूद, एमएसएमई का महत्व महसूस किया जाता है क्योंकि वे देश के औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

गरीबी को कम करने और बेरोजगारी को कम करने की उनकी क्षमता तक फैला हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इन समस्याओं को हल करने के लिए एमएसएमई की आवश्यकता है, न केवल रोजगार प्रदाता के रूप में, बल्कि आय-सृजन के अवसरों के साधन के रूप में भी है।

रोजगार सृजन :

- एमएसएमई विनिर्माण, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं।
- भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, जहां बड़े उद्योगों का संकेन्द्रण शहरी केन्द्रों में है, विविध रोजगार अवसर सृजित करने में एमएसएमई की क्षमता महत्वपूर्ण है।
- व्यवसाय रोजगार के केंद्र भी हैं, विशेषकर ऐसे स्थान जहां रोजगार के विकल्प कम होते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए समर्थन :

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का महत्व विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां रोजगार की कमी है।
- इसके अतिरिक्त, ये प्रतिष्ठान गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़े शहरों में जाने के बिना भी जीविकोपार्जन कर सकता है।
- वे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करते हैं, शहरी-ग्रामीण विभाजन को समाप्त करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि दूरदराज के क्षेत्र आर्थिक रूप से स्थिर रहें।

गरीबी पर प्रभाव :

- स्थानीय रोजगार के लिए तथा भारत में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए एमएसएमई का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- बहुत सारे एमएसएमई आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में कम लागत वाली सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं।

यह निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए संसाधनों तक पहुंच को बढ़ावा देता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि वे गरीबी से ऊपर उठें।

निष्कर्ष रूप में, एमएसएमई का गरीबी कम करने, रोजगार उपलब्ध कराने और आर्थिक अवसर प्रदान करने में प्रत्यक्ष और पर्याप्त प्रभाव है, एमएसएमई का महत्व विशेष रूप से ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।

एमएसएमई और नवाचार:

एमएसएमई का महत्व सबसे अधिक आवश्यक है क्योंकि उन्हें अक्सर बाजार में होने वाले बदलावों, उपभोक्ता की जरूरतों और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ जल्दी से अनुकूलन करने की उनकी क्षमता के कारण नवाचार का इंजन माना जाता है। जबकि बड़े निगमों के पास बाजारों पर हावी होने के लिए वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, एमएसएमई में अक्सर नवीन विचारों को जीवन में लाने के लिए आवश्यक चपलता और रचनात्मकता होती है।

नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना :

- बड़ी कंपनियों के विपरीत, जो अपने आकार और मौजूदा प्रणालियों से विवश हो सकती हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का महत्व सबसे अधिक आवश्यक है क्योंकि उनमें लचीलेपन की शक्ति होती है जो उन्हें बाजार की मांगों पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती है।
- अनुकूलन और नवाचार की यह क्षमता ही एक प्रमुख कारण है कि एमएसएमई भारत के आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं।
- वे रोजमर्रा की समस्याओं के लिए नए समाधान पेश करते हैं, लागत प्रभावी उत्पादों से लेकर अनूठी सेवाओं तक, जो भारतीय उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

नये उत्पाद का विकास :

- एमएसएमई द्वारा अक्सर बाजार में नई वस्तुएं और सेवाएं पेश की जाती हैं।
- उदाहरण के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में, छोटे व्यवसाय अक्सर

नवीन मशीनें और उपकरण विकसित करते हैं जो स्थानीय बाजार के लिए अधिक किफायती होते हैं।

- वे वस्तुओं की नई श्रेणियां भी बनाते हैं जो बाजार में मौजूद कमियों को पूरा करती हैं।

प्रौद्योगिकी अपनाना :

- आज के डिजिटल युग में, एमएसएमई अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रहे हैं।
- इनमें से कई व्यवसाय अपनी उत्पादकता बढ़ाने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन का लाभ उठा रहे हैं।

इन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर एमएसएमई राष्ट्रीय नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत वैश्विक बाजार में आगे बना रहे।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ:

यद्यपि एमएसएमई भारत में आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं। यदि उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करनी है तो इन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

वित्त तक पहुंच :

- हालाँकि, एमएसएमई की प्रमुख चुनौतियों में से एक पूंजी तक सीमित पहुंच है।
- उच्च ब्याज दरों, कठोर बैंकिंग शर्तों और संपार्श्विक की कमी के कारण, कई व्यवसायों को ऋण प्राप्त करना कठिन लगता है।
- इससे उनके व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तार देने की क्षमता सीमित हो जाती है।

बाजार प्रतिस्पर्धा :

- अधिक संसाधनों वाली बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय एमएसएमई अक्सर नुकसान में रहते हैं।
- खुदरा, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभुत्व एमएसएमई पर भारी दबाव डालता है।

पर्याप्त पूंजी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के बिना, एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना कठिन हो सकता है।

विनियामक और कराधान मुद्दे :

- जटिल कर संरचना, विलंबित भुगतान और लालफीताशाही के मुद्दे विनियामक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं जो एमएसएमई को परेशान करते हैं।

- ये ऐसे मुद्दे हैं जो एमएसएमई के प्रभावी विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- विनियामक ढांचे को समझना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, तथा ऐसे छोटे व्यवसायों के पास हमेशा ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं।

नीतिगत सुधारों और बेहतर वित्तीय पहुंच के माध्यम से भारत में एमएसएमई की वृद्धि, स्थिरता और महत्व को इन बाधाओं का सामना नहीं करना चाहिए।

एमएसएमई के लिए सरकारी सहायता:

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं।

सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ :

- एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम तथा स्टार्टअप इंडिया के साथ-साथ मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- ये योजनाएं कंपनियों को भारत में सृजन, विकास और संचालन के लिए आवश्यक संरचना प्रदान करती हैं।
- एमएसएमईडी अधिनियम एमएसएमई को ऋण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता करता है, जिससे उनकी सहायता प्रणाली विकास को बढ़ावा देने में सक्षम होती है।

ऋण तक पहुंच :

- वित्तीय पहुंच के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने मुद्रा और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

ये पहल कम ब्याज दर पर ऋण और वित्तीय गारंटी प्रदान करती हैं, जिससे एमएसएमई के लिए परिचालन विस्तार और अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करना आसान हो जाता है।

महिला उद्यमियों के लिए समर्थन :

- इसके बाद लैंगिक समावेशी विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
- ये पहल महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को वित्तपोषण, प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी वातावरण में सफल हो सकें।

इन योजनाओं के कारण सरकार ने एमएसएमई के महत्व के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अब व्यवसायों में विकसित हो गए हैं, नवाचार कर रहे हैं और भारत की आर्थिक प्रगति में भी मदद कर रहे हैं।

भारत में एमएसएमई का भविष्य:

डिजिटल परिवर्तन, वैश्विक व्यापार और स्थिरता के कारण भारत में एमएसएमई का भविष्य उज्ज्वल दिखता है, लेकिन यह एमएसएमई के महत्व को भी दर्शाता है।

डिजिटल परिवर्तन :

- डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ एमएसएमई ने अपने कार्य करने के तरीके को समायोजित कर लिया है।

एमएसएमई को अधिक व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से ऑनलाइन मार्केटप्लेस से लेकर डिजिटल भुगतान समाधानों तक की बिक्री में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, ई-कॉमर्स एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने का मौका मिलता है।

वैश्विक विस्तार :

- एमएसएमई भी सरकारी सहायता से वैश्विक व्यापार के अवसरों का दोहन करने पर विचार कर रहे हैं।
- भारत के व्यापारिक उपाय और निर्यात प्रोत्साहन एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ाने और उन्हें नए राजस्व चैनल प्रदान करने में सहायता करते हैं।

स्थिरता और हरित नवाचार :

एमएसएमई हरित व्यवसाय पद्धतियों को अपनाकर स्थिरता पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- चाहे वह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का विकास करना हो या विनिर्माण प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करना हो।
- एमएसएमई के पास टिकाऊ समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने का अवसर है।

इन प्रवृत्तियों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि एमएसएमई का महत्व प्रासंगिक बना रहेगा और भविष्य में प्रतिस्पर्धी बना रहेगा तथा भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई के महत्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष:

भारत में एमएसएमई का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एमएसएमई महत्वपूर्ण हैं, जीडीपी वृद्धि और रोजगार सृजन से लेकर नवाचार को बढ़ावा देने और देश के विस्तार के लिए आगे के दरवाजे खोलने तक। हालांकि चुनौतियों में सीमित पहुंच शामिल है।



श्री धीरज प्रसाद

प्रबंधक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

बैंकिंग क्षेत्र में खुदरा ऋण का महत्व: अवसर एवं संभावनाएं

बैंकिंग क्षेत्र में खुदरा ऋण (Retail Loans) का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खुदरा ऋण में गृह ऋण, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, उपभोक्ता ऋण आदि शामिल होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, खुदरा ऋण वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक साबित हो रहा है।

1. खुदरा ऋण का महत्व

(i). बैंकिंग क्षेत्र के लिए लाभकारी

- खुदरा ऋण बैंकिंग संस्थानों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जोखिम का स्तर कम होता है।
- ऋण की विविधता के कारण बैंक अपने पूंजी निवेश को संतुलित कर सकते हैं।
- यह बैंकों को दीर्घकालिक और स्थिर आय प्रदान करता है।

(ii) आर्थिक विकास को बढ़ावा

- खुदरा ऋण से छोटे और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिससे उपभोग और बाजार में मांग बढ़ती है।
- यह निर्माण (Real Estate), ऑटोमोबाइल और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रेरित करता है।

(iii) वित्तीय समावेशन

- खुदरा ऋण से समाज के विभिन्न वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचती हैं।
- इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग को संपत्ति खरीदने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उद्यमिता शुरू करने में सहायता मिलती है।

2. अवसर एवं संभावनाएं

(i) डिजिटल बैंकिंग एवं फिनटेक का प्रभाव

- डिजिटल भुगतान और क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम के बढ़ते उपयोग से खुदरा ऋण वितरण आसान और तेज़ हो गया है।
- बैंकों और फिनटेक कंपनियों के सहयोग से ग्राहकों को बेहतर और किफायती ऋण सुविधाएं मिल रही हैं।

(ii) उभरता हुआ मध्यम वर्ग

- भारत में मध्यम वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो खुदरा ऋण के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान करती है।
- शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव के कारण उपभोक्ता ऋण की मांग बढ़ रही है।

(iii) सरकारी योजनाओं और नीतियों का समर्थन

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), मुद्रा योजना आदि के माध्यम से सरकार खुदरा ऋण को बढ़ावा दे रही है।
- ब्याज दरों में गिरावट और क्रेडिट गारंटी योजनाओं से खुदरा ऋण क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

(iv) बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता

- वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) बढ़ने से लोग अब अधिक ऋण लेने और उन्हें सही तरीके से चुकाने के लिए जागरूक हो रहे हैं।
- बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की पहुंच गांवों तक हो रही है। इस दिशा में बैंकिंग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की शाखाएँ, मोबाइल

वैन शाखा, बीसी एजेंट आदि के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर वित्तीय जागरूकता अभियान के तहत आयोजित विविध कार्यक्रमों द्वारा लोगो को बैंकिंग सुविधाओं एवं उनके द्वारा प्रदत्त उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगो में ऋण लेने उनका सही तरीके से उपयोग करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

3. संभावित चुनौतियाँ एवं समाधान

बैंकिंग क्षेत्र में खुदरा ऋण (Retail Loans) की संभावनाओं के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। ये चुनौतियाँ बैंकिंग संस्थानों, ग्राहकों और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती हैं। नीचे प्रमुख चुनौतियाँ और उनके समाधान दिए गए हैं:

1. उच्च एनपीए (Non-Performing Assets) जोखिम

चुनौती:

- खुदरा ऋणों में असुरक्षित ऋण (Unsecured Loans) जैसे व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण का अनुपात अधिक होता है, जिससे डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है।
- आर्थिक अस्थिरता, नौकरी छूटने या आय में कमी के कारण ग्राहकों के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो सकता है।

समाधान:

- सख्त क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली अपनाना और उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता को बेहतर तरीके से आकलन करना।
- उधारकर्ताओं को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग कर संभावित डिफॉल्टर्स की पहचान करना और समय रहते उचित कार्रवाई करना।

2. ब्याज दरों में अस्थिरता

चुनौती:

- केंद्रीय बैंक (जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक) की मौद्रिक नीतियों में बदलाव से ब्याज दरें प्रभावित हो सकती हैं, जिससे खुदरा ऋणों की मांग घट सकती है।
- उच्च ब्याज दरों के कारण ग्राहकों पर भुगतान का बोझ बढ़ सकता है।

समाधान:

- फ्लोटिंग और फिक्स्ड ब्याज दरों के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना।
- ग्राहकों को ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के प्रभाव के बारे में

जागरूक करना।

- पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पादों की पेशकश करना।

3. डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा खतरे

चुनौती:

- डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया बढ़ने से साइबर धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं।
- फर्जी दस्तावेजों और पहचान की चोरी के माध्यम से ऋण लेने के मामले बढ़ सकते हैं।

समाधान:

- मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करना और डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करना।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ओटीपी और दो-स्तरीय सत्यापन जैसी सुरक्षा सुविधाएं लागू करना।
- ग्राहकों को साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचने के लिए शिक्षित करना।

4. ऋण वसूली की चुनौतियाँ

चुनौती:

- छोटे व्यक्तिगत ऋणों और क्रेडिट कार्ड ऋणों की वसूली मुश्किल हो सकती है, खासकर जब ग्राहक आर्थिक संकट में हो।
- ऋण वसूली की गलत प्रक्रियाओं से बैंक की छवि खराब हो सकती है।

समाधान:

- ईएमआई भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट और लचीली पुनर्भुगतान योजनाओं को लागू करना।
- ग्राहकों के लिए पुनर्गठन (Restructuring) और ऋण समाधान (Settlement) के विकल्प उपलब्ध कराना।



- वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करना।

5. प्रतिस्पर्धा और ग्राहक अधिग्रहण की समस्या

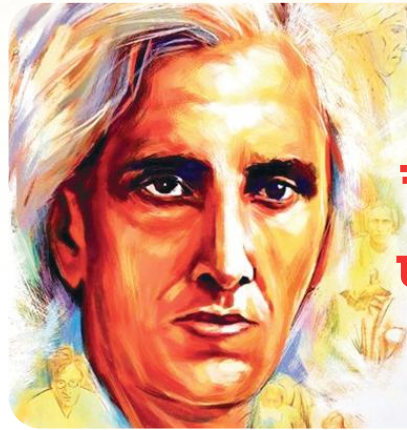
चुनौती:

- बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल हो सकता है।
- ग्राहकों को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है क्योंकि वे कम ब्याज दर और बेहतर सेवा की तलाश में रहते हैं।

समाधान:

- डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को आसान और अधिक आकर्षक बनाना।
 - ग्राहक सेवा में सुधार कर उन्हें दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रेरित करना।
 - नवाचार और तकनीकी समाधान जैसे इंस्टेंट लोन अप्रूवल और कस्टमाइज्ड लोन ऑफर उपलब्ध कराना।

निष्कर्ष: खुदरा ऋण बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। बैंकों को तकनीकी नवाचार, मजबूत जोखिम प्रबंधन और ग्राहक-केंद्रित रणनीतियों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सही नीतियों और डिजिटल समाधानों के माध्यम से खुदरा ऋण क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बनाया जा सकता है। खुदरा ऋण बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक नवाचार, सरकार की नीतियों और बढ़ती वित्तीय साक्षरता के कारण यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, बैंकों को जोखिम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और बेहतर क्रेडिट असेसमेंट पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि खुदरा ऋण का अधिकतम लाभ उठाया जा सके और यह आर्थिक विकास में सहायक बन सके।



शरत चंद्र चट्टोपाध्याय - एक कालजयी साहित्यकार

शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय और बंगाली साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय और संवेदनशील कथाकारों में से एक थे। उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से भारतीय समाज के गहरे अंतर्विरोधों, विशेषकर महिलाओं और निम्नवर्ग की पीड़ा को मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया।

जन्म और प्रारंभिक जीवन

शरत चंद्र का जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गाँव में हुआ था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका अधिकांश बाल्यकाल भागलपुर (बिहार) में बीता। पढ़ाई में रुचि के बावजूद उन्हें उच्च शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी। 1903 में वे बर्मा (अब म्यांमार) चले गए, जहाँ उन्होंने रेलवे में क्लर्क की नौकरी की।

प्रमुख रचनाएँ

शरत चंद्र की लेखनी सामाजिक कुरीतियों और नारी मन की गहराइयों की पड़ताल करती है। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं: देवदास, परिणीता, चरित्रहीन, श्रीकांत, बिंदुर छेले, पथेर दाबी, गृहदाह, शेष प्रश्न

इनमें से कई कृतियाँ परवर्ती समय में फिल्मों के रूप में प्रस्तुत हुईं, विशेषकर देवदास और परिणीता।

उपलब्धियाँ

1. 1903 में “मंदिर” कहानी पर कुंतलीन पुरस्कार मिला।
2. 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा जगत्तरिणी स्वर्ण पदक से सम्मानित।
3. 1936 में ढाका विश्वविद्यालय से D.Litt. (मानद डॉक्टरेट) प्राप्त।
4. वे हावड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े।

मृत्यु

शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन 16 जनवरी 1938 को कोलकाता में हुआ। वे अपने पीछे एक ऐसा साहित्यिक खजाना छोड़ गए हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायी है।



संगीता कुमारी

मुख्य प्रबंधक
मंडल कार्यालय, बर्धमान

महिलाओं के विरुद्ध अपराध और हमारा समाज

समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार करने पर एक स्पष्ट वास्तविकता सामने आती है कि तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हुए हैं। एक कामकाजी महिला के दृष्टिकोण से यह समस्या और भी जटिल है। आज के दौर में महिलाएं न केवल अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बना रही हैं, बल्कि वे समाज में अपनी जगह और सम्मान के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। उन्हें कार्यस्थल, घर, और सार्वजनिक स्थानों पर कई प्रकार की असुरक्षा और अपराधों का सामना करना पड़ता है। इस निबंध में, एक कामकाजी महिला के दृष्टिकोण से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, उनके कारणों, उनके प्रभाव और इस समस्या के समाधान पर चर्चा की जाएगी।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विभिन्न रूप:

महिलाओं को समाज में अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ होने वाले अपराध कई प्रकार के होते हैं, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके कार्यस्थल और पेशेवर जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं।

1. **यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर भेदभाव:** महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न एक आम समस्या है। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति अश्लील टिप्पणी, छेड़छाड़, और अनुचित शारीरिक संपर्क की घटनाएँ कई महिलाओं को मानसिक रूप से आहत करती हैं। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव, उन्हें पदोन्नति से वंचित रखना, और उनकी योग्यता पर सवाल उठाना भी आम समस्याएँ हैं। एक कामकाजी महिला के रूप में, यह महसूस करना अत्यंत पीड़ादायक है कि हमारे मेहनत और योग्यता के बावजूद हमें समान अवसर और सम्मान नहीं मिलता।
2. **साइबर उत्पीड़न:** आज के डिजिटल युग में, इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ अपराध एक नया रूप ले चुके हैं। महिलाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों, तस्वीरों के दुरुपयोग, और धमकियों का सामना

करना पड़ता है। इससे न केवल उनकी मानसिक शांति प्रभावित होती है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और कार्य जीवन भी प्रभावित होता है।

3. **सामाजिक दबाव और परिवारिक अपेक्षाएँ:** एक कामकाजी महिला के रूप में, घर और कार्यस्थल दोनों पर संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। समाज और परिवार की अपेक्षाओं के चलते महिलाओं पर घरेलू जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। परिवार और समाज के लोग महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि वे घर के सभी कार्यों का निर्वहन करें, चाहे वे बाहर कितनी भी मेहनत क्यों न कर रही हों। यह मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बनता है।
4. **सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न:** कामकाजी महिलाओं को घर से कार्यस्थल तक पहुँचने के दौरान भी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान उन्हें छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी, और कई बार सार्वजनिक स्थलों पर भी हिंसा का सामना करना पड़ता है। इससे महिलाएं मानसिक तनाव में रहती हैं और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पातीं।
5. **घरेलू हिंसा, दहेज और विवाह से जुड़े अपराध:** घरेलू हिंसा, जिसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न शामिल है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक बड़ा हिस्सा है। घरेलू हिंसा झेलना महिलाओं के लिए दोहरा संघर्ष है। वे न केवल शारीरिक दर्द सहती हैं, बल्कि समाज के सामने अपनी स्थिति को छिपाने का दबाव भी महसूस करती हैं। दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न और हत्या आज भी समाज का हिस्सा हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कारण:

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कई कारण हैं, जिनमें समाज की सोच, लिंग आधारित भेदभाव, और कार्यस्थल की संरचना शामिल हैं।

1. **पारंपरिक सोच और समाज का दृष्टिकोण:** समाज में अभी भी

महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की सोच विद्यमान है। जब महिलाएं कार्यस्थल पर कदम रखती हैं और पुरुषों के समान अधिकारों की मांग करती हैं, तो यह कई लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन होता है। ऐसी सोच के कारण महिलाएं कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा से वंचित होती हैं।

- 2. कानून की कमी और उचित क्रियान्वयन का अभाव:** यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, परन्तु उनके क्रियान्वयन में अभी भी कई खामियाँ हैं। यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों में कानूनी प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में देरी होती है। इस देरी से अपराधियों को हौसला मिलता है और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं।
- 3. शिक्षा और जागरूकता की कमी:** समाज में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक बड़ा कारण है। कई बार महिलाएं खुद अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होतीं और न ही वे अपने साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठा पाती हैं।
- 4. कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों का अभाव:** बहुत से कार्यस्थल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ महिलाओं के लिए सुरक्षित और आदरणीय माहौल नहीं होता। कार्यस्थल पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली और सुरक्षित वातावरण का अभाव महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराता है।

महिलाओं पर अपराधों के प्रभाव:

महिलाओं पर होने वाले अपराध उनके जीवन के हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

- 1. मानसिक और भावनात्मक प्रभाव:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और भेदभाव महिलाओं को मानसिक तनाव में डालते हैं। एक महिला के रूप में, यह अनुभव कर पाना कठिन होता है कि केवल लिंग के आधार पर हमारे साथ असमान व्यवहार होता है। इससे महिलाएं डिप्रेशन, चिंता, और आत्म-सम्मान में कमी महसूस करती हैं।
- 2. पेशेवर जीवन पर प्रभाव:** असुरक्षित कार्यस्थल के कारण महिलाएं अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पातीं। इससे उनके करियर में बाधा आती है, और उन्हें अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई होती है।
- 3. सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव:** महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल उनके कार्यस्थल तक सीमित नहीं रहते। इसका प्रभाव उनके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। समाज और परिवार के लोग भी उन्हें दोषी ठहराते हैं, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुँचता है।

समाधान के उपाय:

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समाज, सरकार, और कार्यस्थल सभी को अपने-अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है।

- 1. सख्त कानून और त्वरित न्याय:** महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कानून होना चाहिए और इन्हें त्वरित और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव हो।
- 2. जागरूकता अभियान:** समाज में महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल पर समानता के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके साथ ही पुरुषों को महिलाओं के साथ समान और आदरपूर्ण व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए।
- 3. सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन:** कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रणाली और सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए ताकि महिलाएं निडर होकर अपने काम पर ध्यान दे सकें।
- 4. आर्थिक सशक्तिकरण:** महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर बनती हैं।
- 5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण:** महिलाओं को आत्मरक्षा के उपाय सिखाए जाने चाहिए ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सकें। इसके लिए विशेष रूप से कार्यस्थलों पर आत्मरक्षा के प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए।

निष्कर्ष:

महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, उनके करियर, और उनके पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। इसके लिए समाज को अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा, जहाँ महिलाएं स्वतंत्रता और समानता के साथ अपने काम में योगदान दे सकें। कानून और सुरक्षा के उपायों के साथ-साथ महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का भाव समाज में पैदा करना जरूरी है।

जब तक समाज और सरकार मिलकर इस दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक महिलाएं असुरक्षित महसूस करती रहेंगी। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं के बिना समाज का विकास अधूरा है, और जब तक उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल नहीं मिलेगा, तब तक समाज की प्रगति संभव नहीं है और यह केवल कानून का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।



सुश्री पामेला दास

वरिष्ठ प्रबंधक (सु. प्रो.)
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

बैंकिंग धोखाधड़ी के रोकथाम में साइबर सुरक्षा की भूमिका

डिजिटलीकरण के बढ़ते दौर में बैंकिंग प्रणाली साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) के बढ़ते खतरों का सामना कर रही है। ऐसे में साइबर सुरक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यह वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित रखने, ग्राहकों की गोपनीय जानकारी की रक्षा करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है।

1. साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

बैंकिंग क्षेत्र में साइबर हमले कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे:

फिशिंग (Phishing): नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी चुराना।

मैलवेयर और रैनसमवेयर (Malware & Ransomware): बैंकिंग नेटवर्क को संक्रमित करके डेटा चोरी करना या उसे ब्लॉक कर देना।

डाटा ब्रीच (Data Breach): बैंकिंग डेटाबेस से ग्राहकों की जानकारी निकालकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना।

डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) अटैक: बैंकिंग सेवाओं को बाधित करने के लिए सर्वर को ओवरलोड करना।

ATM स्किमिंग: नकली डिवाइस के जरिए एटीएम कार्ड की जानकारी चोरी करना।

2. साइबर सुरक्षा बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में कैसे मदद करती है?

(i). मल्टी-लेयर सिक््योरिटी (Multi-layered Security) का उपयोग

बैंकिंग प्रणाली में साइबर सुरक्षा कई स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे:

फायरवॉल (Firewall): अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए।

एंटी-मैलवेयर सॉफ्टवेयर: बैंकिंग सिस्टम को वायरस और ट्रोजन से बचाने के लिए।

डेटा एन्क्रिप्शन (Data Encryption): संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिए।

(ii). **मजबूत प्रमाणीकरण प्रणाली (Strong Authentication System)** 2-फैक्टर अथेंटिकेशन (2FA): OTP, बायोमेट्रिक पहचान, और सिक््योरिटी प्रश्नों के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा। बायोमेट्रिक सिक््योरिटी: फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकग्निशन से अनधिकृत एक्सेस को रोकना।

(iii). **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग धोखाधड़ी की पहचान (Fraud Detection):** AI आधारित सिस्टम संदिग्ध लेन-देन की पहचान करके अलर्ट भेजते हैं।

व्यवहार विश्लेषण (Behavioral Analysis): ग्राहक की सामान्य बैंकिंग आदतों को ट्रैक करके असामान्य गतिविधियों का पता लगाना।

(iv). सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म

HTTPS प्रोटोकॉल: ऑनलाइन बैंकिंग साइट को सुरक्षित बनाने के लिए।

सेक्योर पेमेंट गेटवे: UPI, NEFT, और IMPS जैसी डिजिटल भुगतान सेवाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।

संदिग्ध लिंक और ईमेल की निगरानी: बैंक ग्राहकों को फिशिंग हमलों से बचाने के लिए चेतावनी जारी करते हैं।

(v). साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण

ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाना आवश्यक है जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम किया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि बैंकिंग धोखाधड़ी के साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और वर्तमान समय की आवश्यकता भी है हम जन मानस में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर देश की आर्थिक प्रगति में हम अपना योगदान दे सकते हैं।



श्री तन्मय कबिराज

प्रबंधक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति में सरकारी ऋण योजनाएँ



बैंकिंग क्षेत्र के विकास में सरकारी ऋण योजनाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देती हैं। नीचे कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:

- वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):** सरकारी ऋण योजनाएँ उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने में मदद करती हैं, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित रहते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएँ इसी उद्देश्य को पूरा करती हैं।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) को समर्थन:** MSME सेक्टर देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, लेकिन इसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) जैसी योजनाएँ छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करके उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करती हैं।
- कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान:** किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), और ग्रामीण बैंकिंग पहले किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। इन योजनाओं से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में मदद मिलती है।
- नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा:** स्टार्टअप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और SIDBI (Small Industries Development Bank of India) जैसी पहले नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करती

हैं। इन योजनाओं के माध्यम से नए स्टार्टअप को पूँजी तक पहुँच मिलती है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं।

- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और आर्थिक वृद्धि:** सरकार द्वारा समर्थित ऋण योजनाएँ बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) जैसे सड़कों, बिजली, पानी, और टेलीकॉम के विकास को गति देती हैं। यह औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि लाकर समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए ऋण सहायता:** महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएँ, जैसे "महिला उद्यमिता योजना" और "स्टैंड अप इंडिया", उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती हैं। SC/ST और अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण योजनाओं से सशक्त किया जाता है, जिससे समाज में समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
- नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को कम करने में मदद:** कुछ योजनाएँ, जैसे कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और क्रेडिट गारंटी योजनाएँ, बैंकों की खराब ऋण समस्याओं को हल करने में सहायक होती हैं। इससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बनी रहती है और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी ऋण योजनाएँ बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती हैं, नए उद्यमों को जन्म देती हैं और आर्थिक विकास को गति देती हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत की बैंकिंग प्रणाली अधिक समावेशी और सशक्त बन सकती है।



श्री सुभाशीष मालाकार

प्रबंधक
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर

वित्तीय जगत में आपसी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न चुनौतियाँ एवं समाधान

इस समय भारत का लगभग हर बैंक कठिन दौर से गुजर रहा है। हर बैंक खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सरकारी बैंकों को लगातार निजी बैंकों से जूझना पड़ रहा है। बैंक का काम लोगों का पैसा जमा करना और उन्हें ब्याज देना और उस जमा राशि से दूसरों को उधार देकर ब्याज लेना है। इस तरह बैंक मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब बैंक अपने CASA डिपॉजिट को लेकर काफी चिंतित हैं। लोग अब बैंकों में पैसा जमा करने से कतरा रहे हैं और इसके बजाय वे अतिरिक्त लाभ के लिए कहीं और निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा जैसी कंपनियां अतिरिक्त लाभ की लालची हैं। विभिन्न कारणों से सरकारी बैंकों में जमा राशि घटती जा रही है। लेकिन क्यों? जमा ही नहीं कर्ज भी कम हो रहा है। हम समय के साथ चलने में असमर्थ हैं, हम वह करने में देर कर रहे हैं जो आज निजी बैंक कर रहे हैं। हम नये ग्राहक लाने में असमर्थ हैं जिनकी सख्त जरूरत है। अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए व्यक्तिगत बचत भले ही कम हो रही हो, लेकिन हमने चालू खाता भी खो दिया है। यदि 10 नए स्टोर खुलते हैं, तो हम दो स्टोरों का हिसाब-किताब नहीं ला पाएंगे। पीओएस टर्मिनल (POS Terminal) से लेकर क्यूआर कोड (QR Code) तक सब कुछ दूसरे बैंकों का है। हमें समस्याओं को समझने की जरूरत है।

एक तो हम ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाते। हम नए खातों के लिए कुछ दुकानों, कार्यालयों में जाने के लिए हर दिन लगातार शाखाओं को कॉल करते हैं। भीड़भाड़ के कारण कई शाखा कर्मी बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन निजी बैंकों के पास विशेष टीम होती है जो ये काम करती हैं, उनके पास लक्ष्य होते हैं। लेकिन हमारी मार्केटिंग टीम का कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है। मेरा मानना है कि प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत लक्ष्य दिया जाना चाहिए और उस मामले में उसके काम को पुरस्कार और मान्यता दी जानी चाहिए।

दूसरे, हमें नए ग्राहक तो मिल रहे हैं लेकिन उनके खाते खोलने में काफी समय लग रहा है। निश्चित रूप से बैंक ऑफिस

की कुछ गलतियाँ हैं लेकिन कई शाखाएँ शुरुआत में सभी दस्तावेजों के साथ फ़ाइलें अपलोड नहीं कर रही हैं। अब बैंक ऑफिस की मुख्य समस्या यह है कि एक विशिष्ट खाता किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास नहीं जाता है, इसलिए एक बार इसे एक व्यक्ति द्वारा रद्द कर दिए जाने पर यह दूसरे के पास चला जाता है। ऐसा करने से नजरिया बदल जाता है, जिससे फिर से रद्द होने की संभावना बन जाती है। इस मामले में, एक बार जब कोई खाता रद्द कर दिया जाता है, तो उसे उसी व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए और किसी कर्मचारी द्वारा रद्द किए गए खातों की संख्या की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

तीसरा, खाता खुलने के बाद हम सभी उसमें अपने उत्पाद बेचने का प्रयास नहीं करते हैं। कई ग्राहक नहीं जानते कि हम कौन सी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं! कई मामलों में तो हम उन्हें जानते तक नहीं। पीओएस टर्मिनल (POS Terminal) या क्यूआर कोड (QR Code) जमा प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं लेकिन हम उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं। फिर, कई मामलों में, हमारे तृतीय पक्ष विक्रेता उचित सेवा प्रदान नहीं करते हैं। जहाँ निजी बैंक बहुत कम समय में पीओएस टर्मिनल या क्यूआर कोड उपलब्ध कराते हैं, वहीं हम अधिक समय ले रहे हैं। इससे ग्राहकों के प्रति हमारी स्वीकार्यता कम हो जाती है। चालू खातों के साथ-साथ कई मामलों में वेतन खाते भी उपलब्ध होते हैं। उस स्थिति में भी हमें कुछ सेवाएँ प्रदान करनी होंगी। वर्तमान में हमने कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं लेकिन हकीकत में देखा गया है कि कई लोगों के खाते में वेतन तो आ जाता है लेकिन वेतन खाता योजना में इसे नहीं खोला जाता है। ऐसी स्थिति में वे विभिन्न सेवाओं से वंचित हो जाते हैं और उनमें से कई दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। इस संबंध में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। पुराने ग्राहकों से नियमित मुलाकात कर उन्हें नई योजनाओं की जानकारी दी जाए। जिन खातों में नियमित सावधि जमा है उनसे संपर्क किया जाना चाहिए ताकि हम उनकी जरूरतों को समझ सकें। सबसे बढ़कर हमें एक ऐसी टीम की आवश्यकता है जो इन कार्यों

को कुशलतापूर्वक करेगी।

नए ग्राहक पाने के लिए हम स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो वे स्वयं बैंक में बहुत सारी जमा राशि रखते हैं और वहां से हम छात्रों के खाते खोल सकते हैं। इस मामले में, केवल खाता खोलना ही आवश्यक नहीं है, छात्रों को निश्चित अंतराल पर एक-दूसरे से संवाद करना होगा। उदाहरण के लिए, हम एजुकेशन लोन के लिए 18-19 वर्ष के छात्रों से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह 20-21 साल की उम्र में वेतन खाते या अन्य आवश्यकताओं के लिए उनसे संपर्क किया जा सकता है।

वर्तमान में ग्राहक हमारे पास नहीं आते हैं लेकिन हमें उन तक पहुंचने की जरूरत है। हमें एक मजबूत मार्केटिंग टीम बनाने की जरूरत है जो विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों से बातचीत कर उनकी जरूरतों को जानेगी। वर्तमान में बहुत कम ग्राहक बैंक आना चाहते हैं, लेकिन जो आते हैं उन्हें ठीक से सेवा देने की जरूरत है। उसकी सभी जरूरतों को समझें, उसकी जरूरतों को तुरंत पूरा करने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति नौकरी पर बार-बार आना नहीं चाहता। हर शिकायत का त्वरित समाधान आवश्यक है। बहुत से लोग ग्राहकों की बात नहीं सुनना चाहते। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में प्रतिष्ठा जोखिम (Reputational Risk) की संभावना बनी रहती है। इसलिए हमें समय के अनुरूप सोशल मीडिया नीति लानी होगी। वर्तमान में जब कोई ग्राहक फेसबुक जैसी जगह पर शिकायत करता है तो उन्हें कुछ टेम्पलेट के माध्यम से उत्तर मिलता है, लेकिन अब 'टू द पॉइंट' (To the point) उत्तर की आवश्यकता होती है और यह उसी भाषा में होना चाहिए जिसमें ग्राहक शिकायत करता है। हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि हमारा पंजाब नेशनल बैंक हमेशा सभी से आगे रहे।



प्रेम दिवस

प्रेम दिवस पर भी पढ़ाई की हो बात,
जीवन के सफर में बने ज्ञान की रौशनी।
युवा मन में हों सपनों की सौगात,
बने विद्या से जीवन की असली सजगनी।

प्रेम है जरूरी, ये हर कोई माने,
मगर राहें सफलता की भी हों साफ।
दिल की बातों में भावनाएं छाने,
पर लक्ष्य की ओर भी बढ़े हर लम्हा माफ।

वैलेंटाइन हो खास, ये दिल से कहें,
पर किताबों की दोस्ती न भूलें कभी।
सपनों की उड़ान में पर लगाए रखें,
हर मंज़िल को छूने की हो दिल में नमी।

करियर बने पहले, फिर आए प्यार,
मेहनत से ही खुलेंगे भविष्य के द्वार।
धड़कनों में रहे प्रेम का उपहार,
पर हाथों में हो किस्मत की पतवार।

युवा मन समझे जीवन का अर्थ,
प्रेम भी हो, पर पढ़ाई हो प्रधान।
वैलेंटाइन में भी रहे मेहनत की ताकत,
तभी बन सकेगा जीवन महान।



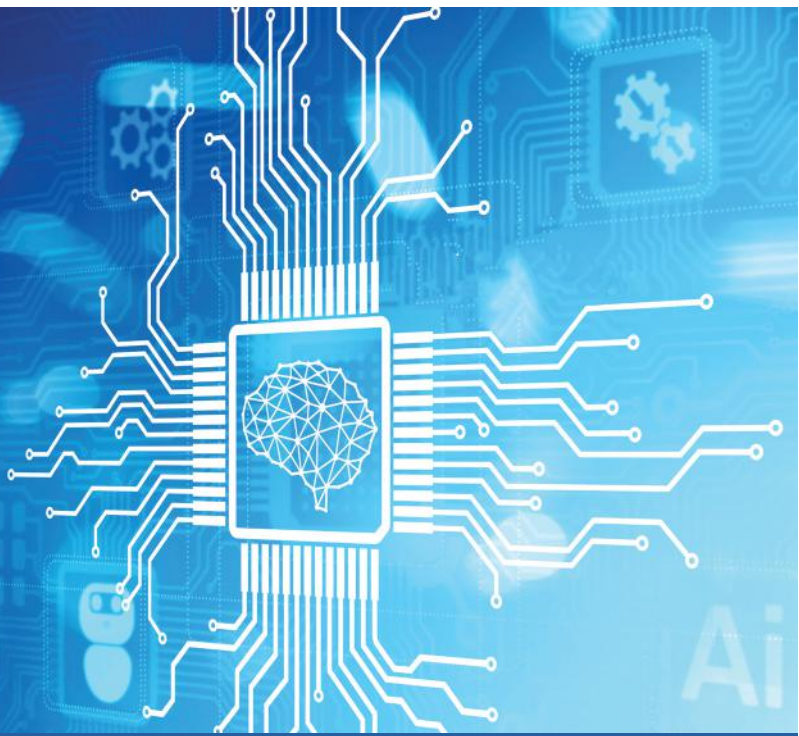
श्री प्रिंस सौरभ

प्रबंधक
मंडल कार्यालय, पुरुलिया



श्री पंकज प्रसाद

वरिष्ठ प्रबंधक (आईटी)
अंचल कार्यालय, दुर्गापुर



बैंकिंग क्षेत्र में मशीन लर्निंग(ML) का उपयोग

परिचय

मशीन लर्निंग (ML) बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, जिससे दक्षता, सुरक्षा और ग्राहक अनुभव में सुधार हो रहा है। बैंक बड़े डेटा का विश्लेषण करने, धोखाधड़ी का पता लगाने, जोखिम आकलन करने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए ML का उपयोग कर रहे हैं। जैसे-जैसे वित्तीय संस्थान डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ML उनके संचालन और निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक उन्नत बना रहा है।

बैंकिंग में मशीन लर्निंग के प्रमुख उपयोग

1. धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम

बैंकिंग में ML का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग धोखाधड़ी की पहचान करना और उसे रोकना है। पारंपरिक नियम-आधारित सिस्टम जटिल धोखाधड़ी तकनीकों के खिलाफ प्रभावी नहीं होते हैं। ML मॉडल ग्राहक व्यवहार, लेन-देन पैटर्न और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके असामान्य गतिविधियों का पता लगाते हैं। ये सिस्टम रियल-टाइम निगरानी के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों जैसे कि असामान्य लेन-देन को तुरंत पकड़ सकते हैं, जिससे बैंक धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम होते हैं।

2. क्रेडिट जोखिम आकलन और ऋण स्वीकृति

ML पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम की तुलना में अधिक सटीक क्रेडिट जोखिम आकलन प्रदान करता है। यह केवल क्रेडिट स्कोर पर निर्भर न रहकर, लेन-देन इतिहास, सोशल मीडिया गतिविधि और खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करता है। इससे बैंकों को ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है।

3. व्यक्तिगत बैंकिंग और ग्राहक अनुभव

बैंकिंग क्षेत्र में ML का उपयोग ग्राहकों के लिए अधिक व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में किया जाता है। ग्राहक की खरीदारी की आदतों, लेन-देन डेटा और व्यवहार का विश्लेषण करके, बैंक उन्हें उपयुक्त क्रेडिट कार्ड, ऋण या निवेश योजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं। ML-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों की समस्याओं का समाधान तेजी से कर सकते हैं और 24/7 सेवा प्रदान करते हैं।

4. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और निवेश प्रबंधन

बैंक और वित्तीय संस्थान ML-संचालित एल्गोरिदम का उपयोग बाजार के रुझान, ऐतिहासिक डेटा और रीयल-टाइम वित्तीय समाचारों का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। इससे वे स्वचालित रूप से ट्रेडिंग कर सकते हैं और उच्च गति वाले व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। रोबो-एडवाइजर (Robo-Advisors), जो निवेश रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए ML का उपयोग करते हैं, खुदरा निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

5. मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (AML - एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग)

बैंकों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर समस्या है, और ML इस समस्या के समाधान में मदद करता है। यह असामान्य लेन-देन पैटर्न की पहचान करने के लिए डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे बैंकों को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में सहायता मिलती है। स्वचालित AML प्रणालियों के माध्यम से, बैंक वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अधिक प्रभावी ढंग से मनी लॉन्ड्रिंग से निपट सकते हैं।

6. स्वचालित बैंकिंग प्रक्रियाएं और बैंक-ऑफिस दक्षता

ML बैंकिंग उद्योग में कई दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जैसे कि दस्तावेज़ सत्यापन, ऋण स्वीकृति और अनुपालन जांच। इससे बैंकों की परिचालन लागत कम होती है, मानवीय त्रुटियों की संभावना घटती है और प्रक्रियाएं तेजी से पूरी होती हैं।

7. ग्राहक छोड़ने की भविष्यवाणी और उन्हें बनाए रखना

ML का उपयोग ग्राहकों के डेटा का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने में किया जाता है कि कौन से ग्राहक बैंक छोड़ सकते हैं और क्यों। इस जानकारी का उपयोग करके बैंक समय रहते ग्राहकों को विशेष ऑफ़र, कम ब्याज दरें या बेहतर सेवाएं देकर उन्हें बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं।

चुनौतियां और नैतिक विचार

हालांकि ML बैंकिंग में कई लाभ प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं:

- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: वित्तीय डेटा अत्यधिक संवेदनशील होता है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
- नियमों का अनुपालन: बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ML-आधारित निर्णय वित्तीय नियमों और ग्राहक संरक्षण कानूनों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष: मशीन लर्निंग बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, कुशल और ग्राहक-अनुकूल बना रहा है। धोखाधड़ी का पता लगाने, क्रेडिट जोखिम आकलन, व्यक्तिगत बैंकिंग, निवेश प्रबंधन और ऑटोमेशन में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके कुछ जोखिम और चुनौतियां हैं, यदि ML का सही और जिम्मेदार उपयोग किया जाए तो यह बैंकिंग उद्योग में नवाचार और दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भविष्य में, जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत होगी, बैंकिंग क्षेत्र में ML का प्रभाव और भी अधिक बढ़ेगा।



नहीं लौटेंगे

कितना प्रेम, कितना लगाव था
अपने हाथों से मुझे सवांरा था
मेरे हर खुशी के लिए उन्होंने

सबकुछ त्यागा था
मेरे परिवार में कोई कमी न हो
इस बात का सदैव रखते थे ख्याल
पूरी हो मेरा हर निहाल
बचपन में मैं भी करता
था उनसे प्यार

उनके ऑफिस से लौटने का इन्तजार

फिर ज्यों ज्यों मैं बड़ा हुआ

त्यों त्यों मैंने उनसे फासला बढ़ाया

उनको नजर अंदाज किया

उनकी हर तमन्नाओं को रौंदता रहा

पर उन्होंने कभी भी मुझसे नफरत नहीं किए

मानों सिर्फ मेरे लिए ही जिए

रोज सुबह मुझे जगाने आ जाते

और मैं झुंझला उठता

फिर भी बुरा नहीं मानते थे

हँसकर टाल देते थे

फिर ऐसा एक दिन आये

मुझे जगाने नहीं आये

मुझे शंका हुआ

अपने गलतियों का एहसास हुआ

मैं भागा भागा उनके पास पहुँचा

पर तब तक बहुत देर हो चुका था

वह मुझसे बहुत दूर और दूर

फिर कभी ना लौटने वाले देश जा चुके थे

जी हां, वह मेरे पिताजी थे।।



श्री शंकर बानिक

अधिकारी (सेवानिवृत्त)
मंडल कार्यालय, दुर्गापुर

पुस्तक समीक्षा



श्री विकास कुमार साव

वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)
मंडल कार्यालय, बर्धमान



तो समझते हैं ही साथ ही नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी यह किताब भारतीय संदर्भ में अपने को एक कदम आगे बढ़ाती है। किताब में ऐसे कई प्रसंग हैं जो आपको युरोपीय देशों की संस्कृति, वहाँ की व्यवस्था, खान-पान, रीति-रिवाज के संबंध में लेखक की समझ को आपके समक्ष रखते हैं। पुस्तक के संदर्भ में नामवर सिंह ने लिखा है, “ हिन्दी साहित्य में अब तक तीन लेखकों के यत्रा-वृत्तांत मील के पत्थर साबित हुए हैं- राहुल सांकृत्यान जिन्होंने ‘घुमकड़शास्त्र’ नाम की किताब ही लिख दी, अज्ञेय और फिर निर्मल वर्मा। इसी कड़ी में चौथा नाम अनुराधा बेनीवाल का भी जुड़ रहा है ”। पुस्तक में मुझे भाषा का प्रसंग ज्यादा आकर्षित करता है। प्रत्येक युरोपीय देशों की अपनी भाषा है, वे अपनी भाषा के प्रति सजग हैं। अंग्रेजी जानने की अनिवार्यता नहीं है। काम-काज में

अ नु रा धा बेनीवाल की आजादी मेरा ब्रांड, पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर ही लिखा है ” एक हरियाणवी छोरी की यूरोप - घुमकड़ी के संस्मरणों की श्रृंखला”। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो यूरोपीय देशों को

वे अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं।

एक भारतीय महिला अकेले यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल जाती है और जहाँ जाती है वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर अपने ठहरने के इंतजाम करती है। इसके लिए पहले निर्भय, यायावर होना अनिवार्य है। पुस्तक की खास बात यह भी है कि यह यूरोपीय देशों के बने बनाए प्रसिद्ध टूरिस्ट नक्से के बाहर की दुनिया से भी रूबरू कराती है। यात्रा के दौरान बर्लिन के म्यूजियम में लेखिका स्पष्ट लिखा हुआ देखती है कि जर्मनों ने कितने यहूदियों को मारा ? कितने डेथ कैंप लगाए? यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया और दूसरे देशों में घुसकर उन्हें मारा! यह सब बातें तो दर्ज हैं ही, अपने ही देश के नाज़ी सैनिकों की फोटो लगाई हैं और उन्हें कसाइयों की उपाधि दी है। इसी तरह किताब में यात्रा के अनेक महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा जा सकता है। एक स्त्री के उन्मुक्त जीने की अभिलाषा को जीवंत करने के उपरांत उसके चेहरे के भाव जो शब्दों से झलकते हैं उन्हें पुस्तक में समझा जा सकता है। एक स्त्री माँ, पत्नी, बेटी के साथ -साथ एक इंडिविजुअल भी हैं, इस बात को भी लेखिका प्राथमिकता देती है। लेखिका बनी बनाई सीमाओं को तोड़ती है, भीड़ में अपने लिए स्पेस की तालाश करती है, अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है।

आइये भारतीय भाषाएँ सीखें

क्रम संख्या	अंग्रेजी भाषा	हिंदी भाषा	बंगला भाषা
1	Immediate Effect	तत्काल प्रभाव	তাৎক্ষণিক প্রভাব
2	Interest Subsidy	ब्याज सहायता / सब्सिडी	সুদ ভর্ত্তুকি
3	Investigation Officer	जाँच अधिकारी	তদন্ত কর্মকর্তা
4	Nomination Form	नामांकन फॉर्म	মনোনয়ন ফর্ম
5	Annual Credit Plan Target	वार्षिक ऋण योजना लक्ष्य	বার্ষিক ক্রেডিট প্ল্যান টার্গেট
6	Alternative arrangement	वैकल्पिक व्यवस्था	বিকল্প ব্যবস্থা
7	Authorized Branches	प्राधिकृत शाखाएं	অনুমোদিত শাখা
8	Appellate Authority	अपीलीय प्राधिकारी	আপীল কর্তৃপক্ষ
9	Auto Renewal	स्वतः नवीनीकरण	অটো রিনিউয়াল
10	Balance of Trade	व्यापार संतुलन	বাণিজ্য ভারসাম্য/ ব্যালान্স অফ ট্রেড
11	Bill of Exchange	विनिमय बिल	বিনিময় বিল/ বিল অফ এক্সচেঞ্জ
12	Charge Sheet	आरोप पत्र	চার্জशीট
13	Charge Sheet	स्पष्टीकरण	স্পষ্টীকরণ
14	Collateral Security	संपाश्विक प्रतिभूति	জামানতমূলক নিরাপত্তা/ কালাচিরাল সিকিউরিটি
15	Collateral Security	सक्षम प्राधिकारी	সক্ষম কর্তৃপক্ষ



श्री शंकर बानिक

अधिकारी (सेवानिवृत्त)
मंडल कार्यालय, दुर्गापुर

बैंकिंग : तब और अब

फिर याद आने लगी बीते हुए दिन.....

आज का यह लेख कुछ भूली-बिसरी यादों को समेट कर आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास मात्र है।

बात 80 के दशक की है। उन दिनों बैंकों में बी एस आर बी द्वारा साधारण कर्मचारियों का नियोग होता था मैं भाग्यशाली हूँ मुझे भी इस दौरान बीएसआरबी के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब कंप्यूटर का आगमन नहीं हुआ था अतः हमें सारा कार्य मैनुअल में ही करना पड़ता था। बैंकों का कार्यकाल सोम से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक, और शनिवार को अर्ध दिवस यानी 10 से 12:00 बजे तक ही ग्राहकों को सेवा दिया जाता था। ग्राहकों के सारा काम निपटाने में लगभग तीन-चार घंटा समय लगी जाता था।

उन दोनों बैंकों का काउंटर भी कुछ अलग तरह का हुआ करता था एक तरफ काउंटरों पर लेजरों का ढेर लगा रहता था और एक तरफ कैश काउंटर शीशे के घेरे में रहता था। कर्मचारीगण बैंक में पधारे ग्राहकों को सेवा प्रदान किया करते थे। काउंटर पर सेविंग्स, कर्लेंट, रिकॉर्डिंग फिक्स्ड डिपॉजिट सीसी ओडी आदि काउंटर हुआ करता था और बाकी लोन और एडवांस का कार्य अलग टेबल पर संपन्न होता था।

कैश क्षेत्र: उन दिनों बैंकिंग का सारा दारोमदार कैश क्षेत्र के कुशलता पर निर्भर करता था क्योंकि ग्राहक कैश जमा देने या फिर

कैश उठाने के लिए बैंक में आते थे। सबसे बड़ी बात उन दिनों कोई नोट गिनने का मशीन नहीं होता था सारे रुपए कैशियर को कुशलता पूर्वक एवं सही रूप से हाथों से ही गिनना पड़ता था। साथ में जाली नोट को भी पकड़ना पड़ता था। यह एक कठिन काम था।

ग्राहक खाता खोलते समय उसे एक सिग्रेचर का कार्ड ले लिया जाता था जिसे क्रमबद्ध से रखा जाता था ताकि जब भी वह ग्राहक पेमेंट लेने आए या क्लीयरिंग में उनका चेक आए तो बैंक अधिकारी सिग्रेचर मिला सके यह भी यह एक कुशल कार्य था क्योंकि बैंक में हजारों हजार खाता हुआ करता था और सबके सिग्रेचर जब भी जरूरत पड़े तो मिनटों में उसे मिलाया जा सके।

पासबुक में प्रविष्टि के लिए ग्राहकों की लंबी कतार। कभी काउंटर पर बैठे कर्मचारियों के साथ ग्राहकों के झगड़े तो कभी एक दूसरे का हाल-चाल पूछना; मानो, ग्राहक नहीं, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। ग्राहक और बैंक के बीच एक अनोखा संबंध था।

समाशोधन गृह: शाखा में ग्राहकों द्वारा जमा अन्य बैंकों के चेकों का कलेक्शन करने की प्रक्रिया को समाशोधन गृह के नाम से जाना जाता था जहां सारे बैंक को के प्रतिनिधि उपस्थित होकर एक दूसरे को चेको का आदान-प्रदान कर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करते थे। कई कारणों से चेकों का वापसी हो जाता था तो उसे उसी दिन शाम सेकंड क्लीयरिंग के नाम से वापस कर दिया जाता था। कभी कभार भूल से रिटर्न होने में देर हो जाती थी तो ऐसे

परिस्थिति में जिस बैंक को रिटर्न करना था उसी बैंक में जाकर चेक को वापस कर दिया जाता था। हम लोग काउंटर रिटर्न कहते थे। बदले में उसे बैंक से पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक ले लिया जाता था।

ओडीबीसी: जब ग्राहक किसी दूसरे शहर या गांव का चेक खाते में जमा करना चाहता था तो उसे हम लोग ओडीबीसी के नाम से एंट्री करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चेक को उसे शहर भेज देते थे जहां से कलेक्शन होकर आने तक इंतजार करना पड़ता था।

आईडीबीसी: जब हमारे पास और बैंकों से चेक कलेक्शन के लिए आता था तो उसे हम लोग आईडीबीसी रजिस्टर पर चढ़ा कर फिर ग्राहकों के खाता डेबिट करके भुगतान टिपीओ/ ड्राफ्ट या क्रेडिट नोट के माध्यम से उसे बैंकों तक बाई पोस्ट भेज दिया जाता था।

डेली एक्सट्रैक्ट: डेली एक्सट्रैक्ट बैंक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब रखने का प्रक्रिया था। जितने भी ड्राफ्ट इशू होता था या पो इशू होता था तो उसका सीधा संबंध हेड ऑफिस को सूचित करने का डेली एक्सट्रैक्ट उत्तम माध्यम था। कभी डिपॉजिट काम और एडवांस अधिक हो जाता था तो ऐसे हालात में शाखा द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय से टीटी के माध्यम से रुपया मंगाना पड़ता था। जिसका उगाही भी डेली एक्सट्रैक्ट में करना आवश्यक होता था।

डिस्पैच क्षेत्र: उन दिनों डिस्पैच क्षेत्र बैंक का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। प्रतिदिन सैकड़ों चिट्ठियां भिन्न-भिन्न जगहों पर भेजना पड़ता था, क्योंकि 20000 से अधिक रकम के ड्राफ्ट का एडवाइस भेजना आवश्यक होता था। तब प्रतिदिन ढेर सारे डिमांड ड्राफ्ट बनाना भी पड़ता था क्योंकि उस जमाने में एन ई एफ टी या आर टी जी एस की सुविधा प्राप्त नहीं थी। इसलिए हर रोज सैकड़ों चिट्ठियां भेजना पड़ता था अलग-अलग शाखों पर और ग्राहकों को। अतः डिस्पैच क्षेत्र को सदैव तत्पर रहना पड़ता था। डाक टिकटों का हिसाब रखना भी महत्वपूर्ण था।

लोन एंड एडवांस ऋण विभाग: बैंकिंग व्यवसाय का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। बड़े उद्योगपतियों से लेकर छोटे-छोटे व्यवसायिक यूनिट को ऋण देकर उनकी आर्थिक प्रगति में बैंक का योगदान सराहनीय था। ऋण देने के लिए कुछ कठोर नियम था जिसे ग्राहकों को पालन करना आवश्यक था। इसी कारण से बैंक आज एक बरगद के पेड़ के तरह फैल चुका है। लोन डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुरक्षित रखना पड़ता था। लोन के ढेर सारे रजिस्टर भी रहता था। उसे जमाने में सिविल रिपोर्ट स्कोरिंग आदि होता था या नहीं मुझे नहीं पता। पर उन दिनों लोन लेने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट अन्य बैंकों से लाना पड़ता था। ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र का कोई सवाल ही नहीं था।

ग्राहक एवं बैंकर के संपर्क: चुकी ग्राहक का जिस बैंक एवं शाखा में खाता होता था सिर्फ वही से वे लेनदेन करते थे जिससे बैंक एवं

ग्राहकों के बीच एक अन्योन्यश्रय संबंध बन जाता था। सीसीटीवी का कोई नामो-निशान नहीं था। पर हम लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे।

गिफ्ट चेक और रुपी ट्रैवल्स चेक: ग्राहकों को उपलब्ध कराने का भी प्रबंधन था। उन दिनों इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग कंप्यूटर आदि न होने के कारण लोग जब कहीं घूमने जाते थे तो वह ट्रैवल्स चेक खरीद कर अपने साथ ले जाते थे जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शाखा से कैश कराया जा सके। किसी को उपहार देने के लिए गिफ्ट चेक का इस्तेमाल किया जाता था।

उसे जमाने में हम लोग सिर्फ बैंकिंग ही किया करते थे

तब इश्योरेंस मेट लाइफ या गोल्ड बॉन्ड गोल्ड कॉइन आदि बेचने का कार्य नहीं करना पड़ता था।

डिमांड ड्राफ्ट: उन दिनों डिमांड ड्राफ्ट का प्रचलन बहुतायत में होता था चाहे वह नौकरी के आवेदन शुल्क हो या किसी भी बड़े-बड़े भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट का ही मान्यता दिया जाता था। मानो डिमांड ड्राफ्ट को कैश के बराबर माना जाता था। रुपया 20000 से नीचे तक के लिए कोई एडवाइस बनाना नहीं पड़ता था 20000 एवं उससे अधिक किसी भी रकम के लिए दो एडवाइस उन शाखा को भेजना पड़ता था जिसके ऊपर ड्राफ्ट जारी किया गया। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कार्बन पेपर का इस्तेमाल बहुतायत में होता था। कभी-कभी एडवाइस पहुंचने से पहले ही ड्राफ्ट पेमेंट के लिए आ जाता था वैसे में ड्राफ्ट टेबल क्षेत्र उसे डिमांड ड्राफ्ट को लाल से उगाही करते थे ताकि पता चले कि इस ड्राफ्ट के एडवाइस अभी तक नहीं आया है। ऐसे में सतर्कता जारी रखना बहुत जरूरी होता था और अगर ड्राफ्ट आने से पहले एडवाइस आ जाता है तो उसे एंट्री करके रख देते हैं और जब ड्राफ्ट का पेमेंट होता है जस्ट उसके बगल में डेट का मार्किंग कर देने से ही ड्राफ्ट का कार्य संपूर्ण हो जाता था।

डे बुक: बैंक में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र डे बुक क्षेत्र होता था। दिन भर में बैंक में हुए लेन-देन का जांच पड़ताल डे बुक द्वारा संपन्न होता था। बैंकिंग में माहिर ऐसे व्यक्ति को ही इस कार्य को संपन्न करने के लिए सौंपा जाता था। डे बुक के लिए लॉन्ग बुक कैश बुक ट्रांसफर क्लीयरिंग जर्नल्स सभी डबल डबल सेट हुआ करता था क्योंकि आज का सारा लॉन्ग बुक कल डे बुक राइटर के पास मिलान के लिए भेजा जाता था। उन दिनों कंप्यूटर ना होने के कारण पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता था तो उन सभी दस्तावेजों की सही मिलान डेबुक क्षेत्र द्वारा संपन्न होता था। डेबुक बैंक का एक ऐसा एरिया था जहा उसे शाखा की दैनिक आर्थिक स्थितियों से अवगत कराया जाता था। डे बुक के अधीनस्थ गूटका कैश बुक लॉन्ग बुक ट्रांसफर जर्नल जीएल एसजीएल और वीकली फिगर बनानी पड़ती थी। डे बुक राइटर के पास लाभ हानि बैंक का डिपॉजिट एडवांस्ड व अन्य सारे फिगर उसके आंखों के सामने

होता था। डे बुक राइटर हर शनिवार को वीकली बनाकर क्षेत्रीय कार्यालय में भेजने का व्यवस्था करता था। क्षेत्रीय कार्यालय अधीनस्थ सभी शाखों का वीकली फिगर को कंपाइल करके उसे हेड ऑफिस भेज देता था। हेड ऑफिस भी क्षेत्रीय कार्यालयों के फिगर इकट्ठा करके फिर से कंपाइल करके भारतीय रिजर्व बैंक को भेजना आवश्यक होता था। डे बुक का काम संपन्न होने पर सारे वाउचरों को दफ्तरी को सौंप दिया जाता था।

दफ्तरी कैश क्लियरिंग ट्रांसफर सारे वाउचरों को सही तरह से सजा कर फिर उसे एक इकट्ठा करके स्टिच कर उसके ऊपर तारीख, वाउचरों की संख्या कौन सी वाउचर कितने हैं लिखकर उसे पर डे बुक राइटर मैनेजर और दफ्तरी साइन करके उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया करता था ताकि भविष्य में किसी कारण आवश्यकता पड़े तो उसे निकाल कर देखा परखा जा सके।

बैलेंसिंग: बैलेंसिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा था बैंकों में। कभी-कभी तो बैलेंस मिलाने के लिए दो या तीन स्टाफ जुट जाते थे। उन दिनों बैलेंसिंग पर बहुत जोर दिया जाता था। हजारों हजार खातों में जमा करोड़ का बैलेंस कास्टिंग करके फिर उसे मिलाना आसान काम नहीं था। सारे जोड़ घटाव हम लोग मैनुअल ही किया करते थे क्योंकि पूरे शाखा में सिर्फ एक या दो कैल्कुलेटर रहता था। अब जबकि हम सभी कैल्कुलेटर कंप्यूटर और मोबाइल निर्भर हो गए हैं तो जब बीते दिनों की बात सोचता हूं तो खुद हैरान रह जाता हूं कि हमलोग उन दिनों बिना कैल्कुलेटर के कैसे काम किया करते थे!

ब्याज: बचत खाता, सावधि जमा, आवर्ती जमा आदि पर ब्याज देना और ऋण पर ब्याज लेना बैंकर का काम होता था। और यह कार्य बिना कैल्कुलेटर के ही किया जाता था। जरा सोचिए! कितना कठिन काम था इसे अंजाम देना। इसीलिए क्लोजिंग के महीने में (साल में दो बार मार्च और सितंबर) हम सभी कर्मचारियों को देर रात तक बैठकर ब्याज का काम संपन्न करना पड़ता था उसके लिए उस समय ओवर टाइम का भी प्रावधान था।

स्टेटमेंट: हर महीना मैनेजर्स सर्टिफिकेट (एम एम सी) तिमाही, छमाही और वार्षिक कई सारे स्टेटमेंट बनाकर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना पड़ता था। स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत इधर-उधर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं

होती थी। परफेक्ट सैकड़ों तरह के स्टेटमेंट या रिटर्न सबमिट करना पड़ता था। देर होने पर रश क्षेत्रीय कार्यालय से फोन चला आता था।

लिखते लिखते याद आया उन दिनों हम लोग लंच इकट्ठे करते थे। लंच के बाद कुछ देर एक साथ थोड़ी देर के लिए गपशप या कोई और तरीके से मनोरंजन किया करते थे इससे मानसिक तनाव कम हो जाता था जिससे प्रेशर और शुगर जैसे बीमारी कोशो दूर रहता था। उसे जमाने में बैंकर्स के ध्यान ज्ञान

केवल मास बैंकिंग यानी आम आदमी के लिए गांव हो या शहर सबको बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना होता था।

ऑडिट एवं इन्स्पेक्शन: उस जमाने में बैंकों में एक मॉर्निंग चेकिंग करने की प्रथा चालू था। एवं समय-समय पर ऑडिट और इन्स्पेक्शन भी हुआ करता था फिर भी कुछ न कुछ फ्रॉड की घटनाएं घट जाती ही थी।

इतिहास के पन्नों पर चले गए उन दिनों की बैंकिंग की थोड़ी बहुत यादाश्त जो धुंधला पड़ चुका है उसे आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। हालांकि बैंकिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही हम आपके समक्ष रख पाए हैं। इतने वर्षों की बैंकिंग महज दो पन्नों पर सिमट कर रखना असंभव प्रतीत हो रही है।

पर क्या करें! इस भागदौड़ की दुनिया में हम भी पीछे की बातों को भूलते जा रहे हैं। अब हम लोग बहुत अधिक तकनीकी पर निर्भरशील होते जा रहे हैं। जिंदगी बहुत ज्यादा गतिमय हो चुका है। पीछे मुड़कर कोई देखना नहीं चाहता, पर इतिहास को जानना भी जरूरी है। इतिहास से आपको रूबरू कराएं यह मेरा प्रयास है।

दूसरी ओर आधुनिक बैंकिंग आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं। अतः।।



अंचल/ मंडल मे आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अवसर पर उच्चाधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई।



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अवसा पर "वाकथन" का आयोजन किया गया। इस रैली में अंचल एवं अधीनस्थ वर्टिकल के उच्चाधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान अंचल कार्यालय, दुर्गापुर के प्रांगण में "स्वास्थ्य जांच शिविर" का आयोजन किया गया।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान अंचल कार्यालय, दुर्गापुर के सभागार में मिशन हॉस्पिटल के सौजन्य से "स्वास्थ्य वार्ता संगोष्ठी" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंचल एवं अधीनस्थ वर्टिकल के स्टाफ-सदस्यों ने प्रतिभागिता की।



सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अवसर पर श्री राजेश प्रामाणिक, प्रमुख आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय, दुर्गापुर की अध्यक्षता में "वाकथन रैली" का आयोजन किया गया। इस अवसर आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय के समस्त स्टाफ-सदस्यों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।



मण्डल कार्यालय, बर्धमान में श्री बुद्धदेव साहा, मंडल प्रमुख बर्धमान के नेतृत्व में सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2024 के दौरान वाकथन का आयोजन किया गया।



दिनांक 30.10.2024 को सांय 04:00 बजे मुर्शिदाबाद मंडल कार्यालय द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अवसर पर श्री प्रताप कुमार बैरीगंजन, सहायक महाप्रबंधक व मंडल प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में एवं श्री प्रभात कुमार, उप मंडल प्रमुख एवं सतर्कता विभाग के प्रमुख।



मण्डल कार्यालय, मालदा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के अवसर पर शपथ लेते हुए स्टाफ सदस्यगण।

अंचल/ मंडल मे आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोह



अंचल कार्यालय-दुर्गापुर के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुये श्री सुमंत कुमार, महाप्रबंधक व अंचल प्रमुख एवं तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुये अंचल के सुरक्षा बल।



78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत "एक पेड़ माँ के नाम" पर अंचल प्रांकुख सहित समस्त उच्चाधिकारियों ने पौधे लगाए।



अंचल कार्यालय-दुर्गापुर के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सुमंत कुमार, महाप्रबंधक महोदय सभी को संबोधित किए।



78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्टाफ के बच्चों हेतु "ऊर्जा संरक्षण" थीम पर चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया और विजेता रहे बच्चों को अंचल प्रमुख, उप अंचल प्रांकुख एवं उपस्थित अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों के कर-कमलों से पुरस्कृत किया गया।



26.01.2025 को गणतन्त्र दिवस के अवसर झण्डा फहराते हुए मण्डल प्रमुख श्री तापस कान्ति झा व साथ में उप मण्डल प्रमुख श्री सुधीर कुमार झा।



मंडल कार्यालय बर्द्धमान में आयोजित 76वां गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां।



श्री संतोष कुमार भगत, उप मंडल प्रमुख की उपस्थिति में मंडल कार्यालय नदिया में 78 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य प्रबंधक और नदिया मंडल के अनेक स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।



मंडल कार्यालय न्यू जलपाईगुड़ी (सिलीगुड़ी) के द्वारा 26.01.2025 को ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अंचल/ मंडल में आयोजित राजभाषा संबन्धित गतिविधियां



दिनांक 24.12.2024 को अंचल कार्यालय-दुर्गापुर के सभागार में आयोजित कंठस्थ 2.0 पर हिंदी कार्यशाला के दौरान श्री अंजन चट्टोपाध्याय, उप अंचल प्रमुख द्वारा विशिष्ट अतिथि वक्ता ओमप्रकाश प्रसाद, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोलकाता (पूर्व) को पुष्प-गुच्छ से स्वागत व अभिनंद करते हुए।

दिनांक 10.01.2025 को अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर नराकास, दुर्गापुर के तत्वावधान में आयोजित "राजभाषा संगोष्ठी एवं चित्र वर्णन प्रतियोगिता" में विजेता प्रतिभागी को पुरस्कृत करते हुए कर्नल सुब्रतो चक्रवर्ती, पूर्व थल सेना अधिकारी एवं उपस्थित है उप अंचल प्रमुख श्री अंजन चट्टोपाध्याय, श्री दशरथ रवानी, अधिकारी एलोय स्टील प्लांट, दुर्गापुर।



दिनांक 27.02.2025 को श्री सुमंत कुमार, अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में एवं श्री नवीन प्रजापति, पूर्व केंद्र प्रभारी, केंद्र अनुवाद ब्यूरो की गरिमामयी उपस्थिति में "हिन्दी अनुवाद में अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग" विषय पर एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान उपस्थित अंचल एवं अधीनस्थ वर्टिकल के स्टाफ-सदस्यगण।



दिनांक 27.02.2025 को आयोजित हिन्दी कार्यशाला के दौरान अंचल प्रमुख एवं अन्य उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में दुर्गापुर अंचल की छमाही गृह पत्रिका "पीएनबी दुर्गावाहिनी" के तीसरे अंक का विमोचन किया गया।



दिनांक 31.12.2024 को मण्डल की प्रथम पत्रिका "मालदा दर्पण" का विमोचन करते हुए उच्चाधिकारीगण तथा सम्मिलित स्टाफ सदस्यगण



राजभाषा मुख्य समारोह के दौरान मंडल प्रमुख श्री बुद्धदेव साहा तथा उप मंडल प्रमुख श्री प्रदीप चंद्र प्रभात के कर कमलों द्वारा मंडल कार्यालय बर्द्धमान की ई पत्रिका "दामोदर प्रभा" के प्रथम अंक का विमोचन किया गया।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कृष्णानगर द्वारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी, 2025 को नराकास अध्यक्ष श्री ब्रज मोहन पंडा की उपस्थिति में राजभाषा कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि श्री नवीन कुमार प्रजापति, वरिष्ठ सलाहकार एवं पूर्व केंद्र प्रभारी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता उपस्थित थे। कार्यशाला नराकास कृष्णानगर सदस्य कार्यालयों के लिए हिन्दी टिप्पण सहायिका का विमोचन किया गया।



दिनांक 21.02.2025 को मंडल प्रमुख श्री बुद्धदेव साहा की अध्यक्षता में बर्द्धमान मंडल कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस के उपलक्ष्य में राजभाषा कार्यशाला एवं कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

अंचल/ मंडल मे आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में श्री सुमंत कुमार, अंचल प्रबंधक की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान “नारी अस्मिता एवं महिला सशक्तिकरण” विषय पर अपना अभिमत प्रकट करते हुए सुश्री अनिता मुखर्जी, अध्यक्ष, दुर्गापुर नगर निगम एवं उपस्थित हैं अंचल एवं अधीनस्थ वर्टिकल के महिला स्टाफ-सदस्यगण।



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में उपस्थित अंचल प्रमुख श्री सुमंत कुमार, उप अंचल प्रमुख श्री अंजन चट्टोपाध्याय सहित अंचल/मण्डल तथा अधीनस्थ वर्टिकल कार्यालयों के महिला स्टाफ-सदस्यगण।



दिनांक 8 मार्च 2025 को मण्डल कार्यालय दुर्गापुर द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री दीपक आचार्य, मण्डल प्रमुख दुर्गापुर की अध्यक्षता में सभी महिला अधिकारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।



दिनांक 08.03.2025 को मण्डल कार्यालय, पुरलिया श्री राकेश कुमार, मण्डल प्रमुख की अध्यक्षता में सभी महिला अधिकारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13 मार्च, 2025 को आयोजित महिला सशक्तिकरण पर संगोष्ठी

अंचल/ मंडल की सीएसआर एवं अन्य गतिविधियां



अंचल कार्यालय, द्वारा आयोजित सीएसआर गतिविधियों के तहत बांदरा फ्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों हेतु शुद्ध पेय जल उपलब्ध करने हेतु वाटर प्यूरीफायर पादन किया गया।



अंचल कार्यालय, द्वारा आयोजित सीएसआर गतिविधियों के तहत पानागढ़ लायंस क्लब चिकित्सालय केंद्र को 02 व्हील चेयर प्रदान किया गया।



बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत अंचल कार्यालय, दुर्गापुर द्वारा नेतादी कॉलोनी हाई स्कूल में पढ़ रहे छात्रों हेतु सैनीटरी नेपकिन मशीन तात्कालिन अंचल प्रमुख के कर-कर्मियों से प्रदान किया गया।



दिनांक 28.03.2025 को मण्डल कार्यालय दुर्गापुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि के तहत भिरिंगी टी एन इंस्टीट्यूट को कुल 30 पंखे प्रदान करते हुए श्री दीपक कुमार, मण्डल प्रमुख, मण्डल कार्यालय दुर्गापुर।



मण्डल कार्यालय, नदिया द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत स्कूल के छोटे बच्चों को स्कूली बैग प्रदान करते हुए मण्डल प्रमुख, नदिया एवं उपस्थित है श्री अंजन चटोपाध्याय, उप अंचल प्रमुख, दुर्गापुर।



दिनांक 15.02.2025 को मण्डल कार्यालय दुर्गापुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि के तहत मंडल कार्यालय दुर्गापुर के तरफ से नेपाली पाडा हिन्दी हाई स्कूल को कुल 10 पंखे एवं 1 पोर्टेबल PA प्रदान करते हुए श्री अरविंद कुमार, मुख्य प्रबन्धक (विपणन)।



दिनांक 15.02.2025 को मण्डल कार्यालय दुर्गापुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि के तहत डी पी एल बालिका उच्च विद्यालय को कुल 06 पंखे प्रदान करते हुए श्री अरविंद कुमार, मुख्य प्रबन्धक (विपणन)।



मंडल कार्यालय मुर्शिदाबाद द्वारा स्टाफ-सदस्यों के बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

अंचल/ मंडल की व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियां



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में आयोजित व्यावसायिक गतिविधियां एवं पुरस्कार प्राप्ति।



श्री दीपक आचार्य, मण्डल प्रमुख, दुर्गापुर द्वारा एटीएम का एटीएम का उद्घाटन



संविधान दिवस के अवसर पर शपथ लेते अंचल कार्यालय, दुर्गापुर के उच्चाधिकारी एवं स्टाफ-सदस्यगण।



संविधान दिवस के अवसर पर शपथ लेते मण्डल कार्यालय, पुरलिया के स्टाफ-सदस्यगण



मण्डल कार्यालय, मुर्शिदाबाद द्वारा स्कूली बच्चों हेतु आयोजित कार्यक्रम



अंचल कार्यालय, दुर्गापुर में आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम।

[illegible]

पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय, दगापिर की छमाही हिंदी गृह पत्रिका

स्वयं सहायता समूह (SHG)

की प्रमुख विशेषताएं:-



सरलीकृत आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया
बेहद आसान।



₹ 10 लाख तक की ऋण राशि के
लिए कोई संपादक आवश्यकता नहीं
और उससे अधिक ₹ 20 लाख तक का
CGFMU कवरेज।



₹ 10 लाख की ऋण राशि तक कोई
मार्जिन की आवश्यकता नहीं।



NRLM प्रायोजित ₹ 20 लाख तक
की ऋण हेतु कोई दस्तावेजीकरण
और प्रसंस्करण शुल्क नहीं



NRLM प्रायोजित
Rs. 20 लाख तक की ऋण हेतु कोई
दस्तावेजीकरण और प्रसंस्करण शुल्क नहीं



पात्र NRLM SHG
(जहाँ बैंक द्वारा NRLM विशिष्ट कोड प्राप्त हो।
को Rs. 3 लाख के बकाया ऋण पर 7% का
रियायती ब्याज दर